Azamgarh Development Authority, Azamgarh

Page 1 of 34

विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 (यथा संशोधित 2011) में संशोधन 2016

प्रस्तर	वर्तमान प्राविधान	प्रस्तावित संशोधन
1.2.6	''स्टिल्ट फ्लोर'' का तात्पर्य प्लिन्थ से खम्भो (पिलर्स) पर बनी हुई संरचना जो न्यूनतम तीन तरफ से खुली हो एवं पार्किंग के प्रयोजनार्थ अभिप्रेत हो, से है।	"स्टिल्ट फ्लोर" का तात्पर्य प्लिन्थ से खम्भो (पिलर्स) पर बनी हुई संरचना जो न्यूनतम दो तरफ से खुली हो, फर्श से बीम तक अधिकतम ऊँचाई 2.10 मीटर हो एवं पार्किंग के प्रयोजनार्थ अभिप्रेत हो, से है।
1.2.35	"बाजार स्ट्रीट" का तात्पर्य सड़क के किनारे पक्तिबद्ध (लीनियर) रूप में मिश्रित निर्माण / महायोजना में इस रूप में चिन्हित क्षेत्र से है, जिसमें सामान्यतः भूतल पर व्यवसायिक एवं अनुवर्ती तलों पर आवासीय/ अन्य उपयोग हो।	''बाजार स्ट्रीट'' का तात्पर्य सड़क के किनारे पंक्तिबद्ध (लीनियर) रूप में मिश्रित निर्माण से है जो महोयोजना / जोनल प्लान में इस रूप में चिन्हित किया गया हो।
1,2,41	''सर्विस फ्लोर' का तात्पर्य किन्ही दो मजिलों के बीच (फ्लोर से सीलिंग तक) 2.10 मीटर की ऊचाई तक की मंजिल जो कि केवल भवन से सम्बन्धित पाइप, सँविंस डक्ट, इत्यादि के उपयोग में लाया जाए, से हैं।	''सर्विस फ्लोर'' का तात्पर्य किन्ही दो मंजिलों के बीच फर्श से बीम तक अधिकतम 2.10 मीटर की ऊंचाई तक की मंजिल जो कि केवल भवन से सम्बन्धित पाइप, सर्विस डक्ट इत्यादि के उपयोग में लाया जाए, से है।
1.2.44	पोडियम पार्किंग का तात्पर्य भूतल के ऊपर (फ्लोर से सीलिंक तक) अधिकतम 2.1 मी. ऊचे तल / तलों हैं, जिस हेतु पार्किंग क्षेत्र में प्रवेश और इसके निकास के लिए वाहनों के आवागमन के लिए रैम्प की व्यवस्था हो।	"पोडियम पार्किंग" का तात्पर्य बिल्डिंग इन्वेल्प लाइन के अन्तर्गत पार्किंग प्रयोजनार्थ मूतल के ऊपर फर्श से बीम की निचली सतह तक अधिकतम 2.10 मी. ऊँचे तल / तलों से हैं. जिसमें वाहनों के प्रवेश और निकास के लिए रैम्प की व्यवस्था हो तथा मैकेनाइज्ड पार्किंग की स्थिति में वास्तविक डिजाइन के अनुसार प्रवेश और निकास की व्यवस्था हो।
1.2.48	_	'ग्रीन बिल्डिंग' का तात्पर्य ऐसे मवन से हैं, जिसमें परम्परागत भवन की तुलना में जल का कम उपयोग, समुचित ऊर्जा दक्षता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, अपशिष्टों का न्यूनतम सृजन तथा अध्यासियों को स्वास्थ्यकर वातावरण उपलब्ध हो।
2.1.2.5 (IX) (ख)	20 एकड से अधिक क्षेत्रफल की योजनाओं के ले—आउट प्लान्स में पार्क एवं खुले क्षेत्र के अंतर्गत उपयुक्त जलाशय का निर्माण किया जाए। जलाशय के निर्माण के पूर्व संबंधित योजना के अंतर्गत वर्षा जल के प्राकृतिक कैंचमेन्ट एरिया को चिन्हित करते हुए वर्षा जल के आयतन, क्षेत्र के हाइड्रोजियोलाजिकल, ट्रोपोग्राफी, लीथालॉजी, मृदा गुणों तथा प्रस्तावित जलशय में वर्षा जल के संभावित उहराव (रिटेन्शन) व "स्टेगनेशन" का अध्ययन एवं तत्सबंधी फिजिबिलटी का आंकलन किया और उसके अनुसार ही जलाशय की गहराई निर्धारित की जाए, परन्तु जलाशय की गहराई	10 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल की योजनाओं के ले—आउट प्लान्स में पार्क एवं खुले क्षेत्र हेतु प्रस्तावित भूमि के अंतर्गत उपयुक्त स्थलों पर जलाशय/जलाशयों का निर्माण किया जाएगा जिनका क्षेत्रफल कुल योजना क्षेत्रफल का न्यूनतम 01 प्रतिशत होगा। जलाशय के निर्माण के पूर्व संबंधित योजना के अंतर्गत वर्षा जल के प्राकृतिक कैंचमेन्ट एरिया को चिन्हित करते हुए वर्षा जल के आयतन. क्षेत्र के हाइड्रोजियोलाजिकल, टोपोग्राफी, लीथालॉजी, मृदा गुणों तथा प्रस्तावित जलाशय में वर्षा जल के संभावित ठहराव (रिटेन्शन) व "स्टेगनेशन" का अध्ययन एवं तत्संबंधी फिजिबिलिटी का आंकलन किया जाए और उसके अनुसार ही जलाशय का आंकार एवं गहराई निर्धारित की जाए, परन्तु जलाशय की अधिकतम गहराई 02 मीटर रखी जाए। इसके अतिरिक्त जलाशय में केवल उसी योजना के "सरफेस—रन—आफ" को निस्तारित करने की व्यवस्था की जाए, प्रदृष्ति

किसी भी दशाा में 03 मीटर से अधिक न रखी

जाए। इसके अतिरिक्त जलाशाय में केवल उसी

योजना के सरफेस-रन-आफ को निस्तारित

करने की व्यवस्था की जाए तथा प्रदूषित जल

एवं उत्प्रवाह को उसमें न मिलाया जाए।

जल एवं उत्प्रवाह को उसमें न मिलाया जाए। पार्क व खुले क्षेत्र के

अन्तर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार एक कोने में रिचार्ज

पिट / रिचार्जशैफ्ट बनाए जाएं। ऐसे रिचार्ज पिट / रिचार्ज शैफ्ट तथा

जलाशय का निर्माण क्षेत्रीय हाइड्रोजियोलॉजी के अनुरूप एवं भू -जल

के ढलान की दिशा में भूगर्भ जल विभाग के परामर्श के अनुसार किया

5 .) (II)	20 एकड से कम क्षेत्रफल की योजनाओं में उपरोक्तानुसार जलाशय बनाए जाए एवं पार्क खुले क्षेत्र के अन्तर्गत निर्धारित मानकों अनुसार एक कोने में रिचार्ज पिट / रिचार्जशैष बनाए जाए। ऐसे रिचार्ज पिट / रिचार्ज शैष तथा जलाशय का निर्माण क्षेत्र हाइड्रोजियोलॉजी के अनुरूप एवं भू—जल ढलान की दिशा में भूगर्भ जल विभाग परामर्श के अनुसार किया जाए।	व के ट्ट च्ट वेय के
2.1.2.6 (v)	-	विकास प्राधिकरणों, आवास एवं विकास परिषद एवं निजी विकासकर्ताओं द्वारा विकसित की जाने वाली कालोनियों में टेलीकाम इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु भूमिगत टेलीकाम डक्ट अनिवार्य रूप से बनाया जायेगा।
2.1.5(II)	प्रार्थी के आवेदन पर उक्त अवधि मे प्राधिक द्वारा निर्धारित शुल्क लेकर एक—एक वर्ष अवधि हेतु अधिकतम तीन बार वृद्धि दी सकती है।	नी निर्धारित नवीनीकरण / मानचित्र शुल्क लेकर अधिकतम तीन
2.2.2 (II)	खुले स्थान की सीमा बिल्डिंग लाइन से न्यूनत 3 मीटर की दूरी पर होगी।	ाम खुले स्थान की सीमा यथास्थिति मूखण्ड की सीमा/बिल्डिंग लाइन तक मान्य होगी। परन्तु भूखण्ड की सीमा से 3.0 मीटर तक के स्थान को इस प्रतिबन्ध के अधीन पाथ—वे के रूप में रखा जायेगा, कि ऐसे पाथ—वे का क्षेत्रफल प्रश्नगत खुले स्थान के कुल क्षेत्रफल से 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। ऐसे पाथ—वेज अनिवार्यतः परफोरेटेड ब्लॉक्स/सामग्री से निर्मित किए जायेंगे।
2.3	सड़कें	सड़कें, पाथवेज तथा साईकल ट्रैक्स
2.3.1	आवासीय भू—उपयोग के विकास में सड़कों नालियों का नियोजन निम्नवत किया जाएगाः—	रवं आवासीय भू-उपयोग (गुप हाउधिंग सहित) के विकास में सड़कों एवं नालियों का नियोजन निम्नवत्र किया जाएगा:—
2.3.7	सडकों के किनारे पर ब्रिक—आन—एज'/ल् स्टोन पेवमन्ट का इस प्रकार प्राविधान कि जाए, ताकि ग्राउण्ड वाटर की अधिक से अधि रिचार्जिंग सम्भव हो सके और शारीरिक रूप अशक्त व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति सके।	या का प्राविधान किया जाएगा। ऐसे पाथ—वे परफोरेटड सामग्री से क निर्मित होंगे या ''ब्रिक—ऑन—एज'' / ''लूज स्टोन पेवमेन्ट'' का से प्राविधान किया जाएगा, ताकि ग्राउन्ड वाटर की अधिक से अधिक
2.3.8		ले—आउट में 18.0 मी. एवं अधिक चौड़ी सड़कों पर साइकिल ट्रैक का ा जाएगा। साईकिल ट्रैक निर्माण की विशिष्टियाँ / प्राविधान निम्नवत होंगी:—
		माईकल ट्रैक निर्माण की विशिष्टियां / प्राविधान
	्रैक के नि के संशोधित	इ.आर.सी.:11—1962 के Draft Revision में मानकों के अनुसार साईकल र्माण हेतु निम्न विशिष्टियां / प्राविधान होंगे। यदि आइ.आर.सी.:11—1962 ड्राफ्ट आने पर किसी मद का प्राविधान आई.आर.सी. कोड में भिन्न है, सी. कोड के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
	Design (A) Wide De	ith sirable Lane Width
	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	Arterial Roads & Sub Arterial Roads 2.5 m
	•	Distributory Roads 1.5 to 2.5 m

O 116 2013/building tiye laws (Correction)/In Woking\Building Bye-laws - amendments (F 07-04-16) .docx

Minimum width for a two lane cycle track should be 2.2 m.
 and 3 m to 4 m for a common cycle track and footpath. In case of distributory roads minimum width should be 1.2 m.

Obstacles

Where trees, electric poles and other encroachments create hindrance in the natural path of cycle, change the course of the cyclist with proper turning radius and bring back to the natural path. At such places minimum width in a stretch of 40 m can be:-

Cycle Track = 0.75 mPedestrian = 0.6 m

(B) Pavement Thickness

(i)	Sub-base (GSB)	10 cm thick
(ii)	Base (WMM)	7.5 cm
(iii)	BM	5 cm thick
(iv)	BC	2.5 cm

बी.सी. एवं एस.डी.बी.सी. के स्थान पर Micro surfacing भी की जा सकती है।

(C) Edge Treatment

(1) Inner side

मुख्य कैरिज-वे एवं साईकिल ट्रैक को अलग करने के लिये मुख्य कैरिज-वे की एज की ओर निम्नानुसार कार्यवाही की जाएगी :-

- (i) उपलब्ध के अनुसार प्लान्टर निर्माण।
- (ii) मार्ग की सतह से 15 से0मी0 ऊंचे 30X10 से0मी0 साइज के Kerb स्टोन।
- (iii) रेलिंग।


ड्रेनेज के लिये यह उपर्युक्त होगा कि मुख्य कैरिज—वे मार्ग से साईकल ट्रैक का लैवल यथा सम्भव 2 से 2.5 से0मी0 नीचा रखा जाएगा।

(2) Outer side

साईकल ट्रैक के बाहरी किनारे पर रेज्ड / लैवल फुटपाथ बनाया जाना चाहिये एवं पानी को ड्रेन करने के लिये के0सी0 ड्रेन का निर्माण किया जाएगा

(D) Signage Marking


(i) कैरिज—वे के ऊपर 50 से 60 मी0 की दूरी पर White colour से साईकल का Symbol बनाया जाएगा:—



For Cycle Tracks/ Lanes



(ii) साईकिल ट्रैक जिस स्थान पर मुख्य मार्ग को क्रांस करेगा, उस स्थान पर भी 4 मीठ चौड़ाई में हरे रंग से Coloured surfacing कर साईकिल ट्रैक का Symbol बनाया जाएगा:—



(iii) रोड मार्किंग के लिये आई०आर०सी० : 11—1962 में प्राविधानित साईनेज का निम्नानुसार उपयोग किया जाएगाः—



Cycle Prohibited

Note - to prohibit cyclists from using elevated roads like flyovers and they should remain at grade for ovement. Compulsory cycle track/


Compulsory Route
For Cyclists &
Pedestrians




Segregated Cycle & Pedestrian Route

Cycle Crossing Cycle Route Ahead

(E) Junction



Exit to Junction



2.4.1.3

विद्युत सब–स्टेशन

11 के.वी.ए.	15000 जनसंख्या पर-1	500 वर्ग मीटर
33के.वी.ए.	_	1.0 एकड़
66 के.वी.ए	5000 जनसंख्या पर -1	1.5 एकड़
132 के.वी.ए.	-	5.0 एकड़
220 के.वी.ए.	500000 जनसंख्या पर-1	10.0 एकड़

2.4.1.6

कीडा कियाएं

2.4.2 (III) जनसंख्या का आंकलन एक आवासीय इकाई हेतू (ग्रूप-हाउसिंग सहित) 5 व्यक्ति के मानक के आधार पर किया जाएगा। भखण्डीय विकास के अन्तर्गत 50 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड पर 1 इकाई, 50 से अधिक तथा 200 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड पर 2 इकाइयाँ, 200 से अधिक तथा 300 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड पर 3 इकाइयाँ, 300 से अधिक तथा 500 वर्गमीटर तक के भूखण्ड पर 4 इकाइयाँ अनुमन्यं होगी। 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के न्यूनतम 12 मीटर एवं अधिक चौडी विद्यमान सडक पर रिथत भूखण्डों में प्रतिहैं 200 वर्ग भीटर पर एक इकाई परन्तु अश्चिकतम 12 इकाईयाँ अनुमन्य होंगी तथा 4 से अतिरिक्त इकाईयों हेतु उनके कुल तल क्षेत्रफल पर प्राधिकरण के वर्तमान सेक्टर रेट का 10 प्रतिशत शुल्क देय होगा। जहां प्राधिकरण का सेक्टर रेट उपलब्ध न हो, वहां जिलाधिकारी का वर्तमान सर्किल रेट लागू होगा। नियोजित कालोनियों में एक से अधिक भूखण्डों को समेकित (Amalgmate) कर यह स्विधा अनुमन्य नही होगी। भ-ुआच्छादन एवं एफ.ए.आर. के मानक यथावत् रहेंगे तथा पार्किंगं के प्राविधान समह् आवास हेत् प्रस्तावित मानको के अनुसार होंगे।"

विद्युत सब-स्टेशन

	many and completely the second contract of the	and the second s
११ के.बी.ए.	15000 जनसंख्या पर-1	500 वर्ग मीटर
33 के.वी.ए.	_	1.0 एकड़
66 के.वी.ए	5000 जनसंख्या पर -1	1.5 एकड़
132 के.वी.ए.	_	5.0 एकड़
220 के वी.ए.	500000 जनसंख्या पर-1	10.0 एकड़

टिप्पणी : विद्युत सब-स्टेशन हेत् अद्यतन प्रौद्यिगिकी के लिए उक्त मानकों से कम क्षेत्रफल प्रस्तावित करने की स्थिति में संबंधित विभाग से सहमति / अनापत्ति प्राप्त कर संलंग्न करनी होगी।

इस प्रस्तर के अंत में निम्नानुसार टिप्पणी सम्मिलित की जाती है:-टिप्पणी : "नेबरहुड कीड़ा केन्द्र" तथा "आवासीय इकाईयों में कीड़ा-केन्द्र" का प्राविधान ले-आउट प्लान स्तर पर प्रस्तावित पार्क एवं खुले स्थान के क्षेत्रफल के अन्तर्गत किया जा सकेगा।

जनसंख्या का आंकलन एक आवासीय इकाई हेत् (ग्रूप-हाउसिंग सहित) 5 व्यक्ति के मानक के आधार पर किया जाएगा। भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत 50 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड पर 1 इकाई, 50 से अधिक तथा 150 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड पर 2 इकाइयाँ, 150 से अधिक तथा 300 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड पर 4 इकाइयाँ, 300 वर्ग मीटर से अधिक एवं 2000 वर्ग मीटर तक क्षेत्रफल के भूखण्डों में प्रति 100 वर्ग मीटर पर एक इकाई परन्तु अधिकतम 20 इकाईयों के आधार पर जनसंख्या का आकलन किया जायेगा।

2.5.1.6

समस्त उपयोगों के भूखण्डों हेतु पार्किंग के इस उपविधि 3.10 में प्राविधानित मानकों के अनुसार की जाएगी 🗄

200 वर्ग मी. से अधिक क्षेत्रफल के समस्त उपयोगों के भूखण्डों हेतु पार्किंग व्यवस्था इस उपविधि के प्रस्तर 3.10 में प्राविधानित मानकों के अनुसार की जाएगी, जबिक 200 वर्गमीटर तक क्षेत्रफल के भूखण्डों में प्रत्येक 100 वर्गमीटर निर्मित तल क्षेत्रफल पर टू-व्हीलर पार्किंग का प्राविधान निम्नानुसार किया जाएगा:-

- (i) खुले क्षेत्र में
- 30 वर्ग मीटर
- (ii) कवर्ड पार्किंग
- 35 वर्ग मीटर
- (iii) बेसमेंट पार्किंग
- 40 वर्ग मीटर

परन्त 200 वर्गमीटर तक के भूखण्डों में जहाँ मानकों के अनुसार पार्किंग व्यवस्था व्यवहारिक नहीं है, वहाँ पार्किंग हेतु वांछित क्षेत्रफल के वर्तमान आवासीय सर्किल रेट पर आंकलित मूल्य के बराबर भू—स्वामी से धनराशि जमा कराकर निर्माण अनुज्ञा दी जा सकेगी। विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त धनराशि को एक अलग खाते में जमा किया जाएगा तथा समृचित धनराशि जमा होने पर यथासंभव समीपस्थ क्षेत्र में कामन पार्किंग विकसित की जाएगी।

		and the commence of the contract of the contra
.3.1.2.3 (v) (a)	-	नवनिर्मित होने वाले सभी श्रेणी के भवन परिसरों में मानकों के अनुसार आप्टिकल फाइबर के लिए डक्ट का प्राविधान।
3.1.2.3 (v) (b)		पाइप्ड नेचुरल गैस का प्राविधान (स्थानीय आवश्कता/उपलब्धता के दृष्टिगत प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निर्णय लिए जाने की स्थिति में)।
3.1.5 (II)	पाँच वर्ष की प्रारम्भिक स्वीकृति की अवधि समाप्त हो जाने के पूर्व भू —स्वामी द्वारा प्रार्थना पत्र दिए जाने पर प्राधिकरण ऐसी शर्तो और प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए जो वह आरोपित करना उचित समझे, एक बार में एक वर्ष के लिए अधिकतम 3 बार स्वीकृति के नवीनीकरण की अनुमति निर्धारित शुल्क लेकर दे सकता है।	पाँच वर्ष की प्रारम्भिक स्वीकृति की अवधि समाप्त हो जाने के पूर्व भू—स्वामी द्वारा प्रार्थना पत्र दिए जाने पर प्राधिकरण ऐसी शर्तो और प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए जो वह आरोपित करना उचित समझे. अधिकतम 3 वर्षों के लिए निर्धारित नवीनीकरण/मानचित्र शुल्क लेकर समयावृद्धि दे सकता है।
3.1.9 (I)	पुरातत्व विभाग द्वारा घोषित सरंक्षित स्मारकों / हैरिटेज स्थलों की सीमा से 100 मीटर परिधि (प्रोहिबिटेड एरिया) के अन्दर तथा इसके पश्चात 200 मीटर तक के क्षेत्र (रेगुलेटेड एरिया) के क्षेत्र में किसी भी निर्माण की अनुज्ञा 'दि एनसिएन्ट मान्यूमेंट्स एण्ड	"पुरातत्व विभाग द्वारा घोषित संरक्षित स्मारकों / हैरिटेज स्थलों के प्रोहिबिटेड एरिया के अन्दर निर्माण अनुज्ञा देय नहीं होगी तथा इसके पश्चात रेगुलेटेड एरिया के क्षेत्र में किसी मी निर्माण की अनुज्ञा 'दि एनसिएन्ट मान्यूमेन्ट्स एण्ड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट,1958 (यथा संशोधित) के प्राविधानों के अधीन पुरातत्व विमाग द्वारा प्रदत्त अनापत्ति के आधार पर देय होगी।"
	आर्कियोलॉजिकल साइट्स एण्ड रिमन्स एक्ट, 1958 के प्राविधानों के अधीन पुरातत्व विभाग द्वारा प्रदत्त अनापत्ति के आधार पर देय होगी।	
3.2.3 ਵੀਟਜ	मूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर होगा जो आवासीय क्षेत्र में न्यूनतम 18 मीटर चौड़े विद्यमान वर्ग पर तथा गैर—आवासीय क्षेत्र में न्यूनतम 24 मीटर चौड़े विद्यमान मार्ग पर स्थित होगा। महायोजना/परिक्षेत्रीय योजना तथा सेक्टर/ले—आउट प्लान में निर्दिष्ट स्थलों पर तथा स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्र में भूखण्ड का क्षेत्रफल इससे कम हो सकता है। होटल के निर्माण हेतु अन्य अपेक्षाए इस उपविधि के अध्याय—5 के	भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर होगा जो निर्मित/विकसित क्षेत्र में न्यूनतम 12 मीटर चौड़े तथा नए/अविकसित क्षेत्र में न्यूनतम 18 मीटर चौड़े विद्यमान मार्ग पर स्थित होगा। महायोजना/परिक्षेत्रीय योजना तथा सेक्टर/ले-आउट प्लान में निर्दिष्ट स्थलों पर तथा स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्र में भूखण्ड का क्षेत्रफल इससे कम हो सकता है। होटल के निर्माण हेतु अन्य अपेक्षाएं इस उपविधि के अध्याय-5 के अनुसार होंगी।
3.2.6 पेट्रोल पम्प / फिलिंग स्टेशन	का न्यनूतम आकार 30 मी.X17 मी., फिलिंग—कम—सर्विस स्टेशन का न्यनूतम आकार 36 मी X30 मी., फिलिंग—कम—सर्विस स्टेशन—कम—वर्कशाप का न्यूनतम आकार 45 मी.X36 मी. तथा दुपहिया एवं तिपहिया वाहनों हेतु फिलिंग स्टेशन का न्यूनतम आकार 18 मी.X15 मी. होगा, जो न्यनूतम 24 मीटंर चौड़े विद्यमान मार्ग पर स्थित होगा। चेट्रोल पम्प/फिलिंग स्टेशन के निर्माण हेतु अन्य अपेक्षाएं इस उपविधि के अध्याय—8 के अनुसार होंगी।	पेट्रोल पम्प/फिलिंग स्टेशन के लिए भूखण्ड का न्यूनतम आकार 16 मी. x 14 मी., फिलिंग—कम—सर्विस स्टेशन का न्यूनतम आकार 25 मी. x 25 मी. होगा, जो निर्मित एवं विकसित क्षेत्र में न्यूनतम 12 मीटर तथा नए/अविकसित क्षेत्र में न्यूनतम 24 मीटर चौड़े मार्ग पर स्थित होगा। पेट्रोल फिलिंग स्टेशन के निर्माण हेतु अन्य अपेक्षाएं इस उपविधि के अध्याय—8 के अनुसार होगी।
3.2.10 मल्टीप्लेक्स	मल्टीप्लेक्स हेतु भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 4000 वर्गमीटर होगा, जो न्यूनतम 24 मीटर चौड़े विद्यमान मार्ग पर स्थित होगा। परन्तु महायोजना/ जोनल प्लान /सेक्टर प्लान/ले-आउट प्लान जो सक्षम स्तर से अनुमोदित है, में मल्टीप्लेक्स हेतु चिन्हित स्थलों पर उक्त प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा। मल्टीप्लेक्स के निर्माण हेतु अन्य अपेक्षाएं इस उपविधि के अध्याय-14 के अनुसार होंगी।	मल्टीप्लेक्स हेतु भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल ४००० वर्गमीटर होगा, जो न्यूनतम २४ मीटर चौड़े विद्यमान मार्ग पर स्थित होगा। परन्तु महायोजना / जोनल प्लान / सेक्टर प्लान / ले—आउट प्लान जो सक्षम स्तर से अनुमोदित है, में मल्टीप्लेक्स हेतु चिन्हित स्थलों अथवा विद्यमान छविगृहों को तोड़कर उनके स्थान पर मल्टीप्लेक्स प्रस्तावित होने पर उक्त प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा अर्थात भूखण्ड का विद्यमान क्षेत्रफल तथा विद्यमान पहुँच मार्ग मान्य होगा। मल्टीप्लेक्स के निर्माण हेतु अन्य अपेक्षाएं इस उपविधि के अध्याय—14 के अनुसार होंगी।

निर्मित क्षेत्र में छविगृह तथा सभा प्रयोजन के लिए व अन्य ऐसे भवनों के निर्मित क्षेत्र में छविगृह तथा सभा प्रयोजन के 3.2.11 भूखण्डों की न्यूनतम चौड़ाई (फ्रन्टेज) 30 मीटर होगी, जो न्यूनतम लिए व अन्य ऐसे भवनों के भूखण्डों की छविगृह 18 मीटर चौड़ी विद्यमान सड़क पर होगा। परन्तु विकसित, विकासशील न्यूनतम चौड़ाई (फ्रन्टेज) 30 मीटर होगी, जो / सभा एवं नए क्षेत्र में छविगृह, सभा भवन व अन्य भवनों में भूखण्डों की न्यूनतम न्यूनतम 18 मीटर चौड़ी विद्यमान सड़क पर भवन चौड़ाई 45 मीटर होगी जो न्यूनतम 24 मीटर विद्यमान सड़क पर होगा। होगा। परन्तु विकसित, विकासशील एवं नए निर्मित / विकसित क्षेत्र में स्थित विद्यमान छविगृहों को तोड़कर उसके क्षेत्र में छविगृह, सभा भवन व अन्य भवनों में स्थान पर छविगृह प्रस्तावित होने की स्थिति में उक्त प्रतिबन्ध लागू नहीं भूखण्डों की न्यूनतम चौड़ाई 45 मीटर होगी होंगे अर्थात भूखण्ड का विद्यमान क्षेत्रफल तथा विद्यमान पहुँच मार्ग मान्य जो न्यूनतम 24 मीटर विद्यमान सड़क पर होगा। होगा। सामान्य अपेक्षाएं-समूह आवास / ग्रुप हाऊसिंग का विकास महायोजना, आवास / ग्रूप अपेक्षाएं--समूह सामान्य 3.3.1 परिक्षेत्रीय विकास योजना तथा ले-आउट प्लान से उपबन्धित रहते हुए हाऊसिंग का विकास महायोजना, परिक्षेत्रीय किया जाएगा। चार हेक्टेयर एवं अधिक क्षेत्रफल की ग्रुप हाउसिंग विकास योजना तथा ले–आउट प्लान से योजनाओं में ले-आउट स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा तथा ले-आउट उपबन्धित रहते हुए किया जाएगा। प्लान एवं भवन मानचित्र एक साथ स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किए जा सर्केंगें। मूप हाउसिंग भवनों में पार्किंग के प्रयोजनार्थ स्टिल्ट फ्लोर ग्रुप हाउसिंग भवनों में पार्किंग के प्रयोजनार्थ 3.3.4 स्टिल्ट फ्लोर अनुमन्य होगा, जिसकी बीम अनुमन्य होगा। (I) तक अधिकतम ऊँचाई 2.1 मीटर होगी। अधिकतम भू-आच्छादन ४० प्रतिशत अनुमन्य होगा। सुरक्षा जोन एवं अधिकतम भू –आच्छादन ४० प्रतिशत अनुमन्य 3.3.6 संरक्षित स्मारकों के प्रतिबन्धित ऊँचाई वाले क्षेत्रों में अधिकतम होगा। भवन की प्रतिबन्धित ऊँचाई के क्षेत्रों में (II)भू–आच्छादन 55 प्रतिशत तक अनुमन्य होगा। अधिकतम भू-आच्छादन ४५ प्रतिशत अनुमन्य होगा। नए / अविकसित क्षेत्रों में अधिकतम एफ.ए.आर. 2.5 अनुमन्य होगा तथा नए/अविकसित क्षेत्रों में अधिकतम एफ.ए. 3.3.6 निर्मित क्षेत्र एवं पूर्व विकसित योजनाओं / आवंटित भूखण्डों में अधिकतम आर. 2.5 अनुमन्य होगा, तथा निर्मित क्षेत्र (III)एफ.ए.आर.1.5 अनुमन्य होगा। उक्त के अतिरिक्त अनुमन्य एफ.ए.आर. विकसित योजनाओं / आवंटित का अधिकतम 5.0 प्रतिशत विभिन्न प्रकार की सेवाओं भूखण्डों में अधिकतम पूफ.ए.आर. यथा—वातानुकूलित संयंत्र, लिफ्ट के सामने (लिफ्ट के बाहर अनुमन्य होगा। गलियारे को छोड़कर) 10 वर्ग मीटर तक लॉबी, मम्टी, लिफ्ट के लिए मशीन कक्ष, अलमारियां एवं वे-ब्रिन्डोज (अधिकतम 0.60 मीटर गहराई एवं 1.80 मीटर लंबाई तर्कों रिफ्यूज एरिया (एन.बी. सी. के अनुसार), सर्विस डक्ट तथा सौमुदायिक केन्द्र के लिए अनुमन्य होगा। ग्रीन बिल्डिंग के प्राविधानों की पूर्ति करने की स्थिति में लीड / आई. जी. बी. सी. द्वारा न्यूनतम गोल्ड रेटेड तथा ग्रेहा द्वारा न्यूनतम 4 सितारे रेटिंग की श्रेणी में रखे गए भवनों में अनुमन्य एफ.ए.आर. का 5.0 प्रतिशत अतिरिक्त एफ.ए.आर. निःशुल्क अनुमन्य होगा। इस हेतु आवेदक द्वारा उक्त संस्थाओं से रेटिंग सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। चार हेक्टेयर तक के क्षेत्रफल की ग्रुप हाउसिंग योजना / भूखण्ड के ग्रुप हाउसिंग योजनाओं के लिए 'नेट' भूमि 3.3.6(X) लिए योजना / भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल पर एफ.ए.आर. देय होगा। (योजना के कुल क्षेत्रफल में से 18 मीटर एवं ऐसी योजना / भूखण्डों में नियोजित होने वाली जनसंख्या के लिए अधिक चौड़ी सड़कें, पार्क एवं ख़्ले क्षेत्र मानकों के अनुसार वांछित सुविधाओं का प्राविधान उक्त एफ ए आर तथा सामुदायिक सुविधाओं के क्षेत्रफल को के अन्तर्गत ही किया जायेगा। 4.0 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल की घटाते हुए अवशेष भूमि) पर एफ एआर. देय मृप हाउसिंग योजनाओं के लिए "नेट" भूमि (योजना के कुल होगा । क्षेत्रफल में से 18 मी0 एवं अधिक चौड़ी सड़कें, पार्क एवं खुले क्षेत्र (15 प्रतिशत) तथा सामुदायिक सुविधाओं के क्षेत्रफल को घटाते हुए अवशेष भूमि) पर एफ.ए.आर. देय होगा। गुप हाउसिंग परियोजनाओं के सेटबैक क्षेत्र के अंर्तगत बालकनी 3.3.6 के प्रोजेक्शन्स इस प्रतिबंध के अधीन अनुमन्य होंगे कि अग्नि (XII) स्रक्षा हेतु फायर टेंडर के आवागमन हेतु मू-तल से न्यूनतम 6 मी0 ऊँचाई का क्षेत्र अवरोध मुक्त रहेगा तथा इसमें किसी मी प्रकार का प्रोजेक्शन अनुमन्य नहीं होगा। 1.5 मीटर चौड़ाई तक बालकनी की गणना एफ.ए.आर. में सम्मिलित नहीं की जाएगी जबिक 1.5 मीटर से अधिक तथा अधिकतम 3.0 मीटर चौड़ाई तक (स्ट्रक्चरल सेफ्टी सुनिश्चित होने की दशा में) बालकनी के 25 प्रतिशत क्षेत्रफल की गणना एफ.ए.आर. में की जाएगी, परन्तु जहाँ दो भवनों के मध्य की दूरी 9.0 मीटर से कम हो वहाँ 1.5 मीटर से अधिक चौड़ी बालकनी अनुमन्य नहीं होगी। इस सम्बन्ध में अग्निशमन विभाग की अनापत्ति प्रस्तुत की जानी होगी।

3.4.2 व्यवसायिक / कार्यालय / संस्थागत / सामुदायिक सुविधाएं / सभा भवन

12.5 मीटर ऊँचाई तक (अधिकतम तीन मंजिल)

मूखण्ड का क्षेत्रफल	सैट-बैक (मीटर)						
	अग्रमाग	पृष्ठमाग	पार्ष्य-1	पार्ख-2			
200 तक (व्यवसायिक को छोडकर)	3.0	3.0	- .	_			
201—500 तक (व्यवसायिक सहित)	4.5	3.0	3.0	3.0			
500 से अधिक (व्यवसायिक सहित)	6.0	3.0	3.0	3.0			

टिप्पणीः (I) 10.5 मीटर की ऊँचाई तक के व्यवसायिक एवं कार्यालय भवनों में जिनका भू—आच्छादन 400 वर्ग मीटर तक है, में प्रकाश एवं संवातन की व्यवस्था सुनिश्चित होने पर पृष्ठ भाग व पार्श्व में सेट—बैक आवश्यक नहीं होगा, परन्तु कोने के भूखण्ड में

ट्र–बैक अनिवार्य होगा।

- (II) 100 वर्ग मीटर तक क्षेत्रफल के व्यवसायिक एवं कार्यालय भूखण्डों में न्यूनतम् फन्ट सैट-बैक 1.5 मीटर
- (III) 101 से 200 वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल के व्यवसायिक एवं कार्यालय भूखण्डों में न्यूनतम फन्ट सैट—बैक 3.0 मीटर होगा।

3.4.2 (I) व्यवसायिक / कार्यालय भवन (15 मीटर ऊँचाई तक अधिकतम चार मंजिल)

भूखण्ड व क्षेत्रफल	ग	सैट—बैक (मीटर)						
	1	अग्रभाग	पृष्ठ भाग	पार्श्व1	पाञ्चं—2			
200 तक		3.0	3.0	_	_			
201-500	तक	4.5	3.0	3.0	3.0			
500 अधिक	से	6.0	3.0	3.0	3.0			

- टिप्पणीः (I) व्यवसायिक भवनों में जिनका भू—आच्छादन 500 वर्ग मीटर तक है, में प्रकाश एवं संवातन की व्यवस्था सुनिश्चित होने पर पृष्ठ भाग व पार्श्व में सेट—बैक आवश्यक नहीं होगा, जबिक कोने के भूखण्ड में अग्रभाग के सेट—बैक के बराबर पार्श्व सेट—बैक अनिवार्य होगा। परन्तु निर्मित/विकसित क्षेत्र में पूर्व नियोजित ले—आउट प्लान्स में निर्धारित सेट—बैक्स ही लागू होंगे।
 - (II) 100 वर्ग मीटर तक क्षेत्रफल के व्यवसायिक एवं कार्यालय भूखण्डों में न्यूनतम फन्ट सैट—बैक 1.5 मीटर होगा।
 - (III) 101 से 200 वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल के व्यवसायिक एवं कार्यालय मूखण्डों में न्यूनतम फन्ट सैट-बैक 3.0 मीटर होगा।
 - (IV) भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत सेक्टर/ नेबरहुड/स्थानीय स्तर के शापिंग सेन्टर का नियोजन पंक्तिबद्ध दुकानों के रूप में किया जा सकता है, जिनमें अग्रमाग में अधिकतम 3 मीटर चौड़े आच्छादित गलियारे (आर्केंड) का प्राविधान अनुमन्य होगा।

3.4.2 (II) संस्थागत / सामुदायिक सुविधा (शिक्षण संस्थाओं को छोड़कर) भवन (12.5 मीटर ऊँचाई तक)

भूखण्ड का क्षेत्रफल	सैट-बैक (मीटर)						
	अग्रमाग	पृष्ठभाग	पार्श्व—1	पाश्र्व—2			
200 तक	3.0	3.0	_	-			
201—500 तक	6.0	3.0	3.0	-			
501—2000 तक	9.0	3.0	3.0	. 3.0			
2001-4000 तक	9.0	4.0	3.0	3.0			
4001-30000 तक	9.0	6.0	4.5	4,5			
30000 से अधिक	15.0	9.0	9.0	9.0			

.docx

	(12.5 मीटर उ	37 mile 11	'')			(12.5 मीटर ऊँ	-11-5 (1.1.)				
द्योगिक न	भूखण्ड का क्षेत्रफल					भूखण्ड का क्षेत्रफल	बीत्रफल				
	CONTRACTOR	ATTIATIVE	पृष्ठ भाग	पार्श्व-1	पार्ख –2		अग्रमाग	पृष्ठ माग	पार्श्व-1	पाश्वं-2	
					-	100 तक	3.0				
	100 तक	3.0				101-200 तक	4.5	1.5	1.5		
	101-200 तक	4.5	1.5	1.5		201-300 तक	4.5	2.0	2.0		
	201-300 तक	4.5	2.0	2.0	-	301400 तक	4.5	3.5	3.0		
1	301-400 तक	4.5	3.5	3.0		401500 तक	6.0	3.5	3.5		
1			3.5	3.5		501600 तक	8.0	4.0	3.5	3.5	
	401500 तक	6.0	3.5			601-1000 तक	7.5	4.5	4.0	4.0	
1	501-600 तक	6.0	4.0	3.5	3.5		9.0	4.5	4.5	4.5	
	601—1000 तक	7.5	4.5	4.0	4.0	1001—5000		9.0	4.5	4.5	
	1001-5000 तक	9.0	4.5	4.5	4.5	5001-30000 तक	9.0	9.0	9,0	9.0	
	5001-30000 तक	9.0	9.0	4.5	4.5	अधिक					
		30000 से 1.0 9.0 9.0 9.0 विष्णी: आद्यागक भवना में प्रवश धार पर									
	बाउण्ड्रीवाल	से सटे क्या होगा	हुए गाउ जिसका	ईरूम, जन् क्षेत्रफल भ	ार के निक नरेटर रूम व नूखण्ड के कुर 50 वर्ग मीट	त का 5 प्रतिशत त के मूखण्ड	ा परन्तु में अधिकत गिटर से ३	4000 वर्ग तम 50 वर्ग अधिक क्षेत्र	माटर क्ष मीटर ह	त्रिफल तप ोगा जबवि	
	होगा। 12.5 मी. से	5 31				125 मी मे	अधिक उँ	चार्ड के म	वन (15 र्म	ोटर ऊँचा	
4.5					and the state of t	तक के व्यव	ासायिक /	कायलिय '	मवनी की	छाड़कर)	
3.4.5(1)	12.5 मीटर से अधिक उँचाई के भवनों हेतु सेट—बैक निम्नवत् होंगें :- मवन की ऊंचाई चारों ओर छोड़े जाने वाला (मीटर) सेट बैक (मीटर)										
	मवन व	की ऊंचाई		ओर छोड़े	जाने वाला	छोड़कर) हे	के व्यव रूपेट—बैक् नकी ऊंचा (मीटर)	्रीनम्नवत् 	कायालय होंगे :- चारों ओर ह वाला सेट बै	भवन। क डोड़े जाने	
	मवन र (#	की ऊंचाई गिटर)		ओर छोड़े	जाने वाला	छोड़कर) हेत् भव	र सेट-बैक् न की ऊंचा (मीटर)	्रिनम्नवत् 	होंगे :- चारों ओर ध	भवन। क डोड़े जाने क (मीटर)	
	मवन र (म	की ऊंचाई गेटर) ने 15 तक		ओर छोड़े सेट बैक (ग	जाने वाला	छोड़ तथ छोड़कर) हेत् भव	र सेट—बैक् न की ऊंचा (मीटर) अधिक एवं	क्रुनिम्नवत् इ 15 तक	होंगे :- चारों ओर ह वाला सेट बै	भवन। क कोड़े जाने क (मीटर)	
	मवन र (र्म 12.5र 15 रे	की ऊंचाई गीटर) ने 15 तक ने 18 तक		ओर छोड़े सेट बैक (म	जाने वाला	छोड़ कर) हेत् भव 12.5 से	र सेट—बैक् न की ऊंचा (मीटर) अधिक एवं 5 से 18 तक	िनम्नवत् विकास	होंगे : चारों ओर ह वाला सेट बै	भवन। क क्रोड़े जाने क (मीटर) 0	
	12.5₹ 18 ₹	भी जंबाई विटर) में 15 तक में 18 तक में 21 तक		ओर छोड़े सेट बैक (ग 5.0 6.0	जाने वाला	छोड़ तथ छोड़कर) है मव 12.5 से 1	पु सेट—बैकु न की ऊंचा (मीटर) अधिक एवं 5 से 18 तक 8 से 21 तक	िम्नवत् विक्रमानवत् १५ तक	होंगे : चारों ओर ह वाला सेट बै 5.0	मवन। क ड्रोड़े जाने क (मीटर) 0 0	
	12.5₹ 15 ₹ 18 ₹ 21 ₹	की ऊंचाई विटर) ने 15 तक ने 18 तक ने 21 तक ने 24 तक		ओर छोड़े सेट बैक (ग 5.0 6.0 7.0	जाने वाला	छोड़ (प्रि) छोड़ कर) है भव 12.5 से 1	पुरित—बैक् न की ऊंची (भीटर) अधिक एवं 5 से 18 तक 8 से 21 तक 1 से 24 तक	ां तक विकास	होंगे : चारों ओर ह वाला <u>ुसे</u> ट बै 5.0 6.0	मवन। क होड़े जाने क (मीटर) 0 0 0	
	12.5₹ 15 ₹ 18 ₹ 21 ₹	की जंबाई वीटर) में 15 तक में 18 तक में 21 तक में 24 तक में 27 तक		ओर छोड़े सेट बैक (ग 5.0 6.0 7.0 8.0	जाने वाला नीटर)	छोड़ (प्रिय) छोड़ कर) है भव 12.5 से 1 2 2	पुरिट—बैक् न की ऊंचा (मीटर) अधिक एवं 5 से 18 तक 8 से 21 तक 1 से 24 तक 4 से 27 तक	15 तक 5	होंगे : चारों ओर ह वाला <u>ुसे</u> ट बै 5.0 6.1 7.1 8.1	मवन। क डोड़े जाने क (मीटर) 0 0 0 0	
	12.5₹ 15 ₹ 18 ₹ 21 ₹ 24 ₹	की कंचाई तीटर) में 15 तक में 18 तक में 21 तक में 24 तक में 27 तक में 30 तक		ओर छोड़े सेट बैक (ग 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0	जाने वाला भीटर)	छोड़ कर) है भव 12.5 से 1 2 2	पुरिट—बैक् न की ऊंचा (मीटर) अधिक एवं 5 से 18 तक 8 से 21 तक 1 से 24 तक 4 से 27 तक 7 से 30 तक	15 तक 5 5	होंगे : चारों ओर ह वाला <u>ु</u> सेट बै 5.0 6.1 8.1 9.1	मवन। क डोड़े जाने क (मीटर) 0 0 0 0 0	
	12.5% 15 % 18 % 21 % 24 % 27 % 30 %	त्री क्रमाई गेटर) ने 15 तक ने 18 तक ने 21 तक ने 24 तक ने 27 तक ने 30 तक ने 35 तक		ओर छोड़े सेट बैंक (¹ 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0	जाने वाला भीटर)	छोड़ कर) है भव 12.5 से 1 2 2 2	पुरिट—बैकु न की ऊंचा (मीटर) अधिक एवं 5 से 18 तक 8 से 21 तक 1 से 24 तक 4 से 27 तक 7 से 30 तक 0 से 35 तक	115 तक 5 5 5 5	होंगे : चारों ओर ह वाला ्सेट बै 5.0 6.0 7.1 8.0 9.1	मवन। क क्रांड़े जाने क (मीटर) 0 0 0 0 0	
	12.5% 15 % 18 % 21 % 24 % 27 % 30 %	की कंचाई तीटर) में 15 तक में 18 तक में 21 तक में 24 तक में 27 तक में 30 तक		ओर छोड़े सेट बैंक (र 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0	जाने वाला गीटर)	छोड़ (प्रि) छोड़ कर) है (मव 12.5 से 1 1 2 2 2 3 3	प्रेट—बैक् न की फंचा (मीटर) अधिक एवं 5 से 18 तक 8 से 21 तक 1 से 24 तक 4 से 27 तक 7 से 30 तक 0 से 35 तक 5 से 40 तक	15 तक 5 5 5 5 5	होंगे : चारों ओर ह वाला सेट बै 5.6 6.7 8. 9. 10	मवन। क क (मीटर) 0 0 0 0 0 0 0 0	
	12.5₹ 15 ₹ 18 ₹ 21 ₹ 24 ₹ 27 ₹ 30 ₹ 36 ₹ 40 ₹	की उज्वाई तीटर) ते 15 तक ते 18 तक ते 21 तक ते 27 तक ते 30 तक ते 35 तक ते 40 तक ते 40 तक		ओर छोड़े सेट बैंक (र 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0	जाने वाला भीटर)	छोड़ कर) है भव 12.5 से 1 2 2 3 3	प्रेट—बैकुं न की फंचा (मीटर) अधिक एवं 5 से 18 तक 8 से 21 तक 1 से 24 तक 4 से 27 तक 7 से 30 तक 0 से 35 तक 5 से 40 तक 0 से 45 तक	15 तक 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	होंगे : चारों ओर ह वाला सेट बै 5.6 6.7 8. 9. 10 11 12	मवन। क क (मीटर) 0 0 0 0 0 0 0 0	
	12.5₹ 15 ₹ 18 ₹ 21 ₹ 24 ₹ 27 ₹ 30 ₹ 36 ₹ 40 ₹	की ऊंचाई तीटर) ते 15 तक ते 18 तक ते 21 तक ते 27 तक ते 30 तक ते 35 तक ते 40 तक ते 40 तक ते 60 तक		ओर छोड़े सेट बैक (ग 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0	जाने वाला नीटर)	छोड़ (स्व) छोड़ कर) है (मव 12.5 से 1 1 2 2 2 3 3	प्रसेट—बैक्क म की फंचा (मीटर) अधिक एवं 5 से 18 तक 8 से 21 तक 1 से 24 तक 4 से 27 तक 7 से 30 तक 0 से 35 तक 5 से 40 तक 0 से 45 तक 15 से 50 तक	15 तक 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	होंगे : चारों ओर ह वाला सेट बै 5.6 6.6 7.7 8.9 10 11 12 13	मवन। क क (मीटर) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	12.5₹ 15 ₹ 18 ₹ 21 ₹ 24 ₹ 27 ₹ 30 ₹ 36 ₹ 40 ₹	की उज्वाई तीटर) ते 15 तक ते 18 तक ते 21 तक ते 27 तक ते 30 तक ते 35 तक ते 40 तक ते 40 तक		ओर छोड़े सेट बैक (¹ 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0	जाने वाला नीटर)	छोड़ (स्व) छोड़ कर) है (मव 12.5 से 1 1 2 2 2 3 3	प्रसेट—बैक्ट्र म की फचा (मीटर) अधिक एवं 5 से 18 तक 8 से 21 तक 1 से 24 तक 4 से 27 तक 7 से 30 तक 0 से 35 तक 5 से 40 तक 0 से 45 तक 5 से 50 तक 50 से 55 तक	15 तक 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	होंगे : चारों ओर ह वाला सेट बै 5.6 6.7 8.9 10 11 12 13 14	मवन। क क (मीटर) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	12.5% 15 % 18 % 21 % 24 % 27 % 30 % 35 % 40 %	की जंबाई भीटर) में 15 तक में 18 तक में 21 तक में 24 तक में 27 तक में 30 तक में 35 तक में 40 तक में 45 तक में 45 तक में 45 तक		3भीए छोड़े सेट बैंक (र 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 13.0 14.0	जाने वाला भीटर)	छोड़ (स्व) छोड़ कर) है (भव 12.5 से 1 1 2 2 2 3 3	प्रसेट—बैक्क म की फचा (मीटर) अधिक एवं 5 से 18 तक 8 से 21 तक 1 से 24 तक 4 से 27 तक 7 से 30 तक 0 से 35 तक 0 से 45 तक 15 से 50 तक 15 से 50 तक 15 से 55 तक 15 से 34 धिक	15 तक 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	होंगे : चारों ओर ह वाला सेट बै 5.6 6. 7.0 8. 9. 10 11 12 13 14 18	मवन। क कोड़े जाने क (मीटर) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
3.4.5(V)	12.5₹ 15 ₹ 18 ₹ 21 ₹ 24 ₹ 27 ₹ 30 ₹ 40 ₹ 50	की जंबाई भीटर) भे 15 तक भे 18 तक भे 21 तक भे 21 तक भे 27 तक भे 30 तक भे 35 तक से 40 तक से 45 तक से 45 तक से 46 तक से 45 तक से 50 तक से अधिक	य परस्पर	अोर छोड़े सेट बैक (र 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0	जाने वाला नीटर)	की दो ब्लाकों व के आधार प भी अधिक संरचना से कार्यालयों साझा क्षेत्र फायरस्केप, तथा परस्पर	प्रसेट—बैक्क में कि	निम्नवत् कित्रक कित्रक कित्रक कित्रक कित्रक स्पर दूरी उ स्वाक कमरों, कक्ष में विष् स्वान विस्	होंगे : चारों ओर ह वाला सेट बै 5.6 6.6 7.0 8.1 10 11 12 13 14 15 च्चितम ब्ला नेटबैक अथ तात्पर्य ए फ्लैट्स / उ भाजित हो गिलयारे,	मवन। क क (मीटर) 0 0 0 0 0 0 0 1.0 3.0 4.0 5.0 क की ऊँ= वा 6 मी. क ऐसी भा अपार्टमेंट्स अगैर जिस्	
3.4.5(V)	मवन र (र्म 12.5र 15 र 18 र 21 र 24 र 30 र 36 र 40 र 50 दो ब्लाकों ऊँचाई के	ही अंचाई ते 15 तक ते 18 तक ते 21 तक ते 21 तक ते 27 तक ते 30 तक ते 35 तक ते 40 तक ते 40 तक ते 45 तक ते 40 तक ते 45 तक ते 50 तक ते 50 तक ते आधार आधार अधिक	य परस्पर गर उस हेत् हो, होगी।	ओर छोड़े सेट बैक (र 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 11.0 12.0 13.0 14.0 2 दूरी उच्च 3 वांछित	जाने वाला भीटर) चतम ब्लाक सेटबैक अथवा	की दो ब्लाकों व के आधार प भी अधिक संरचना से कार्यालयों साझा क्षेत्र फायरस्केप, तथा परस्पर	प्रसेट—बैक्क में कि	िनम्नवत् 15 तक 15 तक 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	होंगे : चारों ओर ह वाला सेट बै 5.6 6.7 8.9 10 11 12 13 14 15 च्चितम ब्ला नेटबैक अथ तात्पर्य ए फ्लैट्स / उ भाजित हो गिलियारे,	मवन। क जोड़े जाने क (मीटर) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

·	गुण	ान की चौड़ाई के आधे से अधि गना एफ.ए.आर. में नहीं की जाए	क नही गी।	होगा, जिसव	एफ.ए निर्मा 10 चक्त	चौड़ाई के आधे से अधिक नहीं हों र.आर: में नहीं की जाएगी। उक्त िण सम्पूर्ण खुले स्थान के क्षेत्रप प्रतिशत की सीमा तक अनुम छत्र छज्जे के ऊपर किसी प्र नन्य नहीं होगा।	छत्र/१ ज्लकीः न्यहोग	छज्जे व अधिकत १. परन
3.5.1	2.				2.	व्यवसायिक		
		(क) निर्मित / विकसित क्षेत्र				(क) नर्मित / विकसित क्षेत्र		
		(।) सुविधाजनक दुकानें	60	1.20		(1) नगर केन्द्र / सेन्द्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट	45	2.00
		(॥) नेबरहुड/सेक्टर शापिंग सेन्टर	40	1.20		name to a fire to the same and the contract of the analysis of		
		(III) बाजार स्ट्रीट	40	1.20		(II) उपनगर केन्द्र / सब सेन्ट्र लेब सेन्ट		1.75
		(IV) उपनगर केन्द्र / सब सेन्ट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट / डिस्ट्रिक्ट शापिंग	35	2.00	4.	व्यवसायिक केन्द्र	en j	
		सेन्टर				(।।।) अन्य व्यवसायिक	60	1.50
	3000000000	(ख) नए/अविकसित क्षेत्र				(ख) नए/अविकसित क्षेत्र		
		(1) सुविधाजनक दुकानें	50	1.50		(I) नगर केन्द्र / सेन्ट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट	40	3.00
		(II) नेबरहुड / सेक्टर शापिंग सेन्टर	40	1.75		Marine and the second s		
		(III) उपनगर केन्द्र / सब	35	2.00		(II) उपनगर केन्द्र / सब सेन्ट्रल बिजने डिस्ट्रिक्ट / जोनल व्यवसायिक केन्द्र	ਸ 45	2.50
		सेन्द्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट / डिस्ट्रिक्ट शापिंग सेन्टर		Treatment of the control of the cont		(III) अन्य व्यवसायिक	50	1.75
		(IV) नगर केन्द्र(सेन्ट्रल बिजनेस् डिस्ट्रिक्ट)	35	3.00	टिप्पण		त्तर्गत र	नेक्टर /
Q						नेबरहुङ / स्थानीय स्तर के बाजार स्ट्रीट तथा सुविद्य शामिल होंगे।		सेन्टर दुकान
er e		.				The state of the s		
3.5.1	3	कार्य जैसे		i	1		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
5.5.1	3.	कार्या हुई।	40		3.	कार्यालय		• H-11-11 - 1111 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
5.5.1	3.	(क) निर्मित क्षेत्र	40	1.50	3.	(क) निर्मित क्षेत्र 50	1,5	50
5.5.1	3.	(क) निर्मित क्षेत्र (ख) विकसित क्षेत्र	40	1.50	3.	(क) निर्मित क्षेत्र 50 (ख) विकसित क्षेत्र 45	1,1	***************************************
.5.1	3.	(क) निर्मित क्षेत्र (ख) विकसित क्षेत्र (ग) नए/अविकसित क्षेत्र	30	2.00		(क) निर्मित क्षेत्र 50 (ख) विकसित क्षेत्र 45 (ग) नए/अविकसित क्षेत्र 40	2.0	00 5 0
.5.1	3.	(क) निर्मित क्षेत्र (ख) विकसित क्षेत्र	ļ	***************************************		(क) निर्मित क्षेत्र 50 (ख) विकसित क्षेत्र 45	2.0 2.9 गर्यालय म् मू—आच्छा	00 50 वनों में दन के
	4.	(क) निर्मित क्षेत्र (ख) विकसित क्षेत्र (ग) नए/अविकसित क्षेत्र • राजकीय एवं अर्द्ध राजकीय	30	2.00		(क) निर्मित क्षेत्र 50 (ख) विकसित क्षेत्र 45 (ग) नए / अविकसित क्षेत्र 40 णी: 200 वर्ग मीटर तक क्षेत्रफल के व चपरोक्त तालिका में निर्धारित स्थान पर बिल्डिंग इन्वेल्प	2.0 2.9 गर्यालय म् मू—आच्छा	00 50 वनों में दन के
		(क) निर्मित क्षेत्र (ख) विकसित क्षेत्र (ख) विकसित क्षेत्र (ग) नए/अविकसित क्षेत्र • राजकीय एवं अर्द्ध राजकीय • प्रोफेशनल/व्यवसायिक कार्यालय शैक्षिक	30	2.00	टिप्प	(क) निर्मित क्षेत्र 50 (ख) विकसित क्षेत्र 45 (ग) नए / अविकसित क्षेत्र 40 णीः 200 वर्ग मीटर तक क्षेत्रफल के व उपरोक्त तालिका में निर्धारित स्थान पर बिल्डिंग इन्वेल्प मू—आच्छादन अनुमन्य होगा।	2.0 2.9 गर्यालय म् मू—आच्छा	00 50 वनों में दन के
		(क) निर्मित क्षेत्र (ख) विकसित क्षेत्र (ख) विकसित क्षेत्र (ग) नए/अविकसित क्षेत्र • राजकीय एवं अर्द्ध राजकीय • प्रोफेशनल/व्यवसायिक कार्यालय शैक्षिक (क) निर्मित/विकसित क्षेत्र	35 30	2.00	टिप्प	(क) निर्मित क्षेत्र 50 (ख) विकसित क्षेत्र 45 (ग) नए/अविकसित क्षेत्र 40 णीः 200 वर्ग मीटर तक क्षेत्रफल के व उपरोक्त तालिका में निर्धारित स्थान पर बिल्डिंग इन्वेल्प मू—आच्छादन अनुमन्य होगा। शैक्षिक (क) निर्मित/विकसित क्षेत्र	2.0 2.9 जार्यालय म मू—आच्छा लाइन	00 50 गवनों में दन के तक
		(क) निर्मित क्षेत्र (ख) विकसित क्षेत्र (ख) विकसित क्षेत्र (ग) नए/अविकसित क्षेत्र • राजकीय एवं अर्द्ध राजकीय • प्रोफेशनल/व्यवसायिक कार्यालय शैक्षिक (क) निर्मित/विकसित क्षेत्र • प्राइमरी व नंसरी स्कूल • हाईस्कूल/इंटरमीडिएट/जच्चत	35 30 3	2.00	टिप्प	(क) निर्मित क्षेत्र 50 (ख) विकसित क्षेत्र 45 (ग) नए/अविकसित क्षेत्र 40 णीः 200 वर्ग मीटर तक क्षेत्रफल के व उपरोक्त तालिका में निर्धारित स्थान पर बिल्डिंग इन्वेल्प मू—आच्छादन अनुमन्य होगा। शैक्षिक (क) निर्मित/विकसित क्षेत्र • प्राइमरी व नर्सरी स्कूल • हाईस्कूल/इंटरमीडिएट/उच्चतर	2.0 2.9 गर्यालय म् मू—आच्छा	00 50 वनों में दन के
		(क) निर्मित क्षेत्र (ख) विकसित क्षेत्र (ख) विकसित क्षेत्र • राजकीय एवं अर्द्ध राजकीय • प्रोफेशनल/व्यवसायिक कार्यालय शैक्षिक (क) निर्मित/विकसित क्षेत्र • प्राइमरी व नर्सरी स्कूल • हाईस्कूल/इंटरमीडिएट/उच्चत संस्थाएं	35 30 3	2.00 2.00 2.50 ·	ਟਿਘ	(क) निर्मित क्षेत्र 50 (ख) विकसित क्षेत्र 45 (ग) नए/अविकसित क्षेत्र 40 णी: 200 वर्ग मीटर तक क्षेत्रफल के व उपरोक्त तालिका में निर्धारित स्थान पर बिल्डिंग इन्वेल्प मू—आच्छादन अनुमन्य होगा। शैक्षिक (क) निर्मित/विकसित क्षेत्र • प्राइमरी व नर्सरी स्कूल • हाईस्कूल/इंटरमीडिएट/उच्चतर संस्थाएं	2.0 2.3 जार्यालय म म् आच्छा लाइन	00 50 गवनों में दन के तक
		(क) निर्मित क्षेत्र (ख) विकसित क्षेत्र (ख) विकसित क्षेत्र (ग) नए/अविकसित क्षेत्र • राजकीय एवं अर्द्ध राजकीय • प्रोफेशनल/व्यवसायिक कार्यालय शैक्षिक (क) निर्मित/विकसित क्षेत्र • प्राइमरी व नर्सरी स्कूल • हाईस्कूल/इंटरमीडिएट/उच्चत संस्थाएं (ख) नए/अविकसित क्षेत्र	30 35 30 30 7	2.00 2.00 2.50 2.50 0 1.00	ਟਿਘ	(क) निर्मित क्षेत्र 50 (ख) विकसित क्षेत्र 45 (ग) नए/अविकसित क्षेत्र 40 णीः 200 वर्ग मीटर तक क्षेत्रफल के व उपरोक्त तालिका में निर्धारित स्थान पर बिल्डिंग इन्वेल्प मू—आच्छादन अनुमन्य होगा। शैक्षिक (क) निर्मित/विकसित क्षेत्र • प्राइमरी व नर्सरी स्कूल • हाईस्कूल/इंटरमीडिएट/उच्चतर संस्थाएं (ख) नए/अविकसित क्षेत्र	2.0 2.9 जार्यालय म मू आच्छा लाइन 35	00 50 ावनों में दन के तक
		(क) निर्मित क्षेत्र (ख) विकसित क्षेत्र (ग) नए/अविकसित क्षेत्र • राजकीय एवं अर्द्ध राजकीय • प्रोफेशनल/व्यवसायिक कार्यालय गैक्षिक (क) निर्मित/विकसित क्षेत्र • प्राइमरी व नसरी स्कूल • हाईस्कूल/इंटरमीडिएट/जच्चत संस्थाएं (ख) नए/अविकसित क्षेत्र • नसरी स्कूल	30 35 30 30 7	2.00 2.00 2.50 ·	ਟਿਘ	(क) निर्मित क्षेत्र 50 (ख) विकसित क्षेत्र 45 (ग) नए/अविकसित क्षेत्र 40 णीः 200 वर्ग मीटर तक क्षेत्रफल के व उपरोक्त तालिका में निर्धारित स्थान पर बिल्डिंग इन्वेल्प मू—आच्छादन अनुमन्य होगा। शैक्षिक (क) निर्मित/विकसित क्षेत्र • प्राइमरी व नर्सरी स्कूल • हाईस्कूल/इंटरमीडिएट/उच्चतर संस्थाएं (ख) नए/अविकसित क्षेत्र • नर्सरी स्कूल /प्राइमरी स्कूल	2.0 2.9 51यां लय म मू—आच्छा लाइन 35 30	000 50 गवनों में दन के तक 1.00 1.00
		(क) निर्मित क्षेत्र (ख) विकसित क्षेत्र (ख) विकसित क्षेत्र • राजकीय एवं अर्द्ध राजकीय • प्रोफेशनल/व्यवसायिक कार्यालय शैक्षिक (क) निर्मित / विकसित क्षेत्र • प्राइमरी व नर्सरी रकूल • हाईस्कूल/इंटरमीडिएट/उच्चत संस्थाएं (ख) नए/अविकसित क्षेत्र • नर्सरी स्कूल • प्राइमरी	30 35 30 30 7	2.00 2.00 2.50 ·	ਟਿਘ	(क) निर्मित क्षेत्र 50 (ख) विकसित क्षेत्र 45 (ग) नए/अविकसित क्षेत्र 40 णीः 200 वर्ग मीटर तक क्षेत्रफल के व उपरोक्त तालिका में निर्धारित स्थान पर बिल्डिंग इन्वेल्प मू—आच्छादन अनुमन्य होगा। शैक्षिक (क) निर्मित/विकसित क्षेत्र • प्राइमरी व नर्सरी स्कूल • हाईस्कूल/इंटरमीडिएट/उच्चतर संस्थाएं (ख) नए/अविकसित क्षेत्र • नर्सरी स्कूल /प्राइमरी स्कूल • हाईस्कूल/इन्टरमीडिएट	2.0 2.9 जार्यालय म मू आच्छा लाइन 35	00 50 विनों में दन के तक
		(क) निर्मित क्षेत्र (ख) विकसित क्षेत्र (ग) नए/अविकसित क्षेत्र • राजकीय एवं अर्द्ध राजकीय • प्रोफेशनल/व्यवसायिक कार्यालय गैक्षिक (क) निर्मित/विकसित क्षेत्र • प्राइमरी व नसरी स्कूल • हाईस्कूल/इंटरमीडिएट/जच्चत संस्थाएं (ख) नए/अविकसित क्षेत्र • नसरी स्कूल	30 35 30 30 7	2.00 2.00 2.50 · 15 0.80 0 1.00 0 0.80 5 1.00	ਟਿਘ	(क) निर्मित क्षेत्र 50 (ख) विकसित क्षेत्र 45 (ग) नए/अविकसित क्षेत्र 40 णीः 200 वर्ग मीटर तक क्षेत्रफल के व उपरोक्त तालिका में निर्धारित स्थान पर बिल्डिंग इन्वेल्प मू—आच्छादन अनुमन्य होगा। शैक्षिक (क) निर्मित/विकसित क्षेत्र • प्राइमरी व नर्सरी स्कूल • हाईस्कूल/इंटरमीडिएट/उच्चतर संस्थाएं (ख) नए/अविकसित क्षेत्र • नर्सरी स्कूल /प्राइमरी स्कूल	2.0 2.9 51यां लय म मू—आच्छा लाइन 35 30	000 50 वनों में दन के तक 1.00
3.5.1		(क) निर्मित क्षेत्र (ख) विकसित क्षेत्र (ख) विकसित क्षेत्र • राजकीय एवं अर्द्ध राजकीय • प्रोफेशनल/व्यवसायिक कार्यालय शैक्षिक (क) निर्मित / विकसित क्षेत्र • प्राइमरी व नर्सरी रकूल • हाईस्कूल/इंटरमीडिएट/उच्चत संस्थाएं (ख) नए/अविकसित क्षेत्र • नर्सरी स्कूल • प्राइमरी	30 35 30 37 30 40 31	2.00 2.00 2.50 · 1.00 0 0.80 5 1.00 5 1.20	ਟਿਘ	(क) निर्मित क्षेत्र 50 (ख) विकसित क्षेत्र 45 (ग) नए/अविकसित क्षेत्र 40 णीः 200 वर्ग मीटर तक क्षेत्रफल के व उपरोक्त तालिका में निर्धारित स्थान पर बिल्डिंग इन्वेल्प मू—आच्छादन अनुमन्य होगा। शैक्षिक (क) निर्मित/विकसित क्षेत्र • प्राइमरी व नर्सरी स्कूल • हाईस्कूल/इंटरमीडिएट/उच्चतर संस्थाएं (ख) नए/अविकसित क्षेत्र • नर्सरी स्कूल /प्राइमरी स्कूल • हाईस्कूल/इन्टरमीडिएट	2.0 2.3 51यांलय म मू आच्छा लाइन 35 30	000 500 श्वनों में दन के तक 1.00 1.00 1.20

3.5.1	5.	सामुदायिक एवं संस्थागत सुवि	गएं			5.	सामुदायिक एवं संस्थागत सुविघाएं		
		(क) निर्मित / विकसित क्षेत्र	3:	5	1.50		(क) निर्मित / विकसित क्षेत्र	40	1.50
		(ख) नए/अविकसित क्षेत्र					(ख) नए ∕ अविकसित क्षेत्र		
		 सामुदायिक केन्द्र,बारात घर एवं धार्मिक भवन 	4(0	1.50		सामुदायिक केन्द्र,बारात घर एवं धार्मिक भवन अवन अवन अवन अवन अवन अवन अवन	40	1.50
		• अन्य संस्थागत	3(0	2.00		• अन्य संस्थागत	30	2.00
3.5.1	7.	औद्योगिक				7	औद्योगिक		
		(क) निर्मित / विकसित क्षेत्र		1		7.	(क) निर्मित / विकसित क्षेत्र		1
		भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)			.	.	भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)		
		• 100 तक	60	1.20	-		• 100 तक	60	1.20
et e		• 101-450	60	1.00			• 101—450 °	60	1.20
		• 451-2000	55	0.80			• 451—2000	55	1.00
		• 2001—12,000	55	0.70			• 2001—12,000	55	0.90
		• 12001—20,000	50.	0.65			• 12001—20,000	50	0.85
		• 20,000 से अधिक	50	0.60			• 20,000 से अधिक	50	0.80
		(ख)नए / अविकसित क्षेत्र					(ख) नए/अविकसित क्षेत्र		
		• फ्लैटेड फैक्ट्रीज	50	1.20		-	• फ्लैटेड फैक्ट्रीज	50	1.50
		• लघ् एवं हल्के उद्योग	60	0.80			• लघु एवं हल्के उद्योग	60	1.00
		• वृहद उद्योग	40	0.60			• वृहद उद्योग	40	0.80
		भोक व्यावसायिक (क) निर्मित / विकसित क्षेत्र					थोक व्यावसायिक (क) निर्मित ∕ विकसित क्षेत्र • फल एवं सब्जी मण्डी ﴿﴿	40	1,00
		• फल एवं सब्जी मण्डी	40	0.80)		अन्य थोक व्यवसाय	60	1.20
		• अन्य थोक व्यवसाय	60	1.20)		(ख) नए/अविकसित क्षेत्र	्र	
		(ख) नए/अविकसित क्षेत्र					• ग्रेन मार्केट	35	1.00
	-	• ग्रेन मार्केट	35	1,00			• फल एवं सब्जी मण्डी	40	1.00
		 प्रन नाकट फल एवं सब्जी मण्डी 	40	1.00			• अन्य थोक व्यवसाय	50	1.50
		• पाल १५ तळा मण्डा		1.00		स्पष्ट	टीकरण:—		
		• अन्य थोक व्यवसाय	50	1.50		''नए	/अविकसित क्षेत्र'' कालान्तर	में ''वि	कसित
		The second secon			* * .	क्षेत्र'	' की श्रेणी में चिन्हित होने की ।	स्थिति ग	रें ऐसे ·
						ध्या प्रश	में स्थित मूखण्डों हेतु मू–आच्छ र. ले–आउट∕बिल्डिंग प्लान के	ादनः एव अञ्चल	ाएफ. 'च = }
							र. ल-आउट/।बाल्डग प्लान क । लागू भू-आच्छादन एवं एफ.ए.		
						नहीं	होगा।	-11 V. VI	-17° [
3.5.1						ग्रीन	बिल्डिंग के प्राविधानों की पृ	र्ति कर	ने की
टेंप्पणी (XI)		-				स्थि	ते में लीड / आई.जी.बी.सी. द्वारा	न्यूनतम	गोल्ड
		26				रेटेड	ं तथा ग्रेहा द्वारा न्यूनतम 4 सिर	तारे रेटि	ंग की
the second		rtwag (श्रणी	में रखे गए मवनों में अनुमन्य	एफ.ए.अ 	ार. का ——
						5.0 ਵੀਜਾ	प्रतिशत अतिरिक्त एफ.ए.आर. निः	शुल्क अ	मनुमन्य को -
						रेटिंग रेटिंग	। इस हेतु आवेदक द्वारा उक्त । सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्राप्त कर	. सस्था	अ। सी कर्म

3.5.1 टिप्पणी (XII) शासन द्वारा घोषित नीतियों यथा—हाईटेक टाउनशिप नीति, इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति, न्यू टाउनशिप नीति, अफोर्डेबल हाउसिंग नीति, समाजवादी आवास योजना, आदि हेतु भू—आच्छादन एवं एफ.ए.आर. के मानक सम्बन्धित नीति के प्राविधानों के अनुसार होंगे।

3.5.2 कय—योग्य एफ.ए.आर 3.5.2.1 एफ.ए.आर. को मार्केट डिमान्ड' के अनुसार लचीला (Flexible) बनाने हेतु निर्मित, विकसित तथा नए/अविकसित क्षेत्रों में क्य-योग्य एफ.ए.आर. निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य होगाः—

(क) निर्मित विकसित तथा नए/अविकसित क्षेत्र में 24 मीटर एवं उससे अधिक चौड़ी सड़कों पर ही क्य-योग्य एफ.ए. आर. अनुमन्य होगा।

(ख)गुपहाउसिंग, व्यवसायिक, कार्यालय तथा सार्वजनिक एवं अर्द्ध—सार्वजनिक / सामुदायिक सुविधाएं भू—उपयोगों के लिए क्य—योग्य एफ.ए.आर. निम्न सीमा तक अनुमन्य होगाः—

क्षेत्र की प्रकृति कय—योग्य एफ.ए.आर

• निर्मित क्षेत्र बेसिक एफ.ए.आर. का 20 प्रतिशत

• विकसित क्षेत्र

• नए/
अविकसित क्षेत्र वेसिक एफ.ए.आर. का 50 प्रतिशत
(परन्तु बेसिक एफ.ए.आर. का 50 प्रतिशत
(परन्तु बेसिक एफ.ए.आर. सहित

एफ.ए.आर. को मार्केट डिमान्ड' के अनुसार लचीला (Flexible) बनाने हेतु निर्मित, विकसित तथा नए/अविकसित क्षेत्रों में क्य—योग्य एफ.ए.आर. निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य होगाः—

(क) निर्मित, विकसित तथा नए/अविकसित क्षेत्र में 18 मीटर एवं उससे अधिक चौड़ी सड़कों पर क्य-योग्य एफ.ए. आर. अनुमन्य होगा।

(ख) गुप हाउसिंग, व्यावसायिक, मिश्रित, कार्यालय तथा सार्वजनिक एवं अर्द्ध—सार्वजनिक/सामुदायिक सुविधाएं मू—उपयोगों के लिए अवस्थापना सुविधाओं के संवर्धन/सुदृढ़ीकरण की व्यवहारिकता तथा मवन निर्माण की अन्य अपेक्षाओं यथा सेट—बैक, पार्किंग, स्ट्रक्चरल एवं फायर सेफ्टी, इत्यादि मानकों की पूर्ति सुनिश्चित होने की दशा में क्रय—योग्य एफ.ए.आर. की अनुमन्यता सडक की चौडाई के आधार पर निम्नवत होगी:—

राज्यर करा चाठाइ	7.
क्षेत्र की प्रकृति	क्रय-योग्य एफ.ए.आर.
• निर्मित क्षेत्र	बेसिक एफ.ए.आर. का 20 प्रतिशत
	18 मीटर एवं अधिक परन्तु 24 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर बेसिक एफ ए.आर. का 33 प्रतिशत
• विकसित क्षेत्र	24 मीटर एवं अधिक चौड़ी सड़क पर बेसिक एफ.ए.आर. का 50 प्रतिशत
• नए/अविकसित क्षेत्र	18 मी. एवं अधिक परन्तु 24 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर बेसिक एफ.ए.आर. का 33 प्रतिशत
The second secon	24 मीटर एवं अधिक चौड़ी सड़क पर बेसिक एफ.ए.आर. का 50 प्रतिशत

टिप्पणी: 'निर्मित/विकसित क्षेत्र में स्थित ऐसे गुप हाउसिंग/बहुमंजिले भवन यथा—व्यावसायिक, कार्यालय, मिश्रित उपयोग, संस्थागत/सामुदायिक सुविधाए भू—उपयोगों के भूखण्ड जिनका न्यूनतम् क्षेत्रफल 4.0 हेक्टेयर हो एवं न्यूनतम् 30.0 मीटर चौड़ी विद्यमान सड़क से पहुंच की सुविधा उपलब्ध है, के लिए भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार अनुमन्य बेसिक एफ.ए.आर. के ऊपर क्रय—योग्य एफ.ए.आर. इस प्रतिबन्ध के अधीन अनुमन्य होगा कि क्रय—योग्य सहित अधिकतम एफ.ए.आर. 3.0 होगा। ग्रुप हाउसिंग में क्रय—योग्य एफ.ए.आर. के सापेक्ष समानुपातिक आधार पर आवासीय इकाईयाँ अनुमन्य होंगी, जो प्रचलित घनत्व मानकों के अतिरिक्त होंगी। कय योग्य एफ ए.आर. शुल्क की गणना निम्न फार्मूला के अनुसार की जायेगी।

 $C = Le \times Rc \times P$

C = शुल्क (चार्ज)

Le =कय योग्य एफ ए आर हेतु अनुपातिक भूमि की आवश्यकता (वर्गमीटर); i.e. Fp ÷FAR

FP = क्य-योग्य एफ.ए.आर. के अनुसार अनुमन्य अतिरिक्त तल क्षेत्रफल (वर्गमीटर)

FAR = महायोजना / भवन उपविधि के अनुसार अनुमन्य तल क्षेत्रफल अनुपात (बेसिक एफ.ए.आर.)

Rc = भूमि की दर

नोटः

- (I) वाणिज्यिक, कार्यालय/संस्थागत तथा ग्रुप हाउसिंग के प्रकरणों में जहाँ नीलामी हुई है, वहाँ नीलामी की दर अथवा प्राधिकरण का वर्तमान सेक्टर रेट,दोनों में जो अधिक हो, के आधार पर गणना की जायेगी। जहाँ नीलामी नहीं हुई है तथा प्राधिकरण का सेक्टर रेट,जिलाधिकारी के सर्किल रेट से कम हो,ऐसे प्रकरणों में जिलाधिकारी के वर्तमान सर्किल रेट एवं प्राधिकरण के वर्तमान सेक्टर रेट के योग के 1/2 के आधार पर गणना की जायेगी। परन्तु जहाँ प्राधिकरण का सेक्टर रूंट,जिलाधिकारी के सर्किल रेट से अधिक हो, वहाँ प्राधिकरण के क्रीमान सेक्टर रेट के आधार पर ही गणना की जाये प्रीमान सेक्टर रेट के आधार पर ही गणना की जाये सेक्टर हो की आधार पर ही
- (II) सामुदायिक तथा सामाजिक सुविधाएं एवं अवस्थापनाओं के लिए प्राधिकरण का वर्तमान सेक्टर रेट लागू होगा,जहाँ उक्त रेट उपलब्ध नहीं है,वहाँ जिलाधिकारी का वर्तमान सर्किल रेट लागू होगा।

P = कय-योग्य फैक्टर

कय-योग्य एफ.ए.आर. भाुल्क की गणना हेतु भू-उपयोग के अनुसार गुणांक निम्नवत होंगे:--

क.सं.	भू—उपयोग श्रेणी	प्रस्तावित गुणांक
1.	वणिज्यिक	0.80
2.	कार्यालय / संस्थागत	0.60
3.	आवासीय (ग्रुप हाउसिंग)	0.40
4.	सामुदायिक तथा सामाजिक सुविधाएं एवं अवस्थापनाएं	0.30

नोट:

- (i) प्लाटेड डेवलपमेंट (आवासीय) तथा औद्योगिक भू—उपयोग के लिए क्य योग्य एफ.ए.आर. अनुमन्य नहीं है। आवासीय भू— उपयोग में क्य योग्य एफ.ए.आर. केवल ग्रुप हाउसिंग के लिए अनुमन्य है।
- (ii) कार्यालय / संस्थागत भू—उपयोग के अंतर्गत समस्त प्रकार के कार्यालय,तकनीकी एवं प्रबन्धन संस्थाएं भामिल होंगी।
- (iii) सामुदायिक तथा सामाजिक सुविधाएं एवं अवस्थापनाओं के अंतर्गत स्कूल, चिकित्सालय, पोस्ट

कय—योग्य एफ.ए.आर. शुल्क की गणना निम्न फार्मूल अनुसार की जायेगी:-

 $C = Le \times Rc \times P$

C = शुल्क (चार्ज)

Le =कय योग्य एफ.ए.आर. हेतु अनुपातिक भूमि की आवश्यकता (वर्गमीटर); i.e. Fp ÷FAR

FP = क्य-योग्य एफ.ए.आर. के अनुसार अनुमन्य अतिरिक्त तल क्षेत्रफल (वर्गमीटर)

FAR = महायोजना / भवन उपविधि के अनुसार अनुमन्य तल क्षेत्रफल अनुपात (बेसिक एफ ए.आर.)

Rc = भूमि की वर्तमान दर

नोटः मूमि की वर्तमान दर का तात्पर्य प्राधिकरण की वर्तमान आवासीय दर से हैं, जहां प्राधिकरण की दर उपलब्ध नहीं हैं, वहां जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट से हैं।

P = कय-योग्य फैक्टर

कय-योग्य एफ.ए.आर. शुल्क की गणना हेतु भू-उपयोग के अनुसार गुणांक निम्नवत होंगे:-

क.स.	भू-उपयोग श्रेणी	प्रस्तावित गुणांक
1.	वणिज्यिक 🥻	0.50
2.	मिश्रित 🔓	0.45
3.	कार्यालय / संस्थागत	0.45
4.	होटल	0.40
5.	आवासीय (ग्रुप हाउसिंग)	0.40
6.	सामुदायिक तथा सामाजिक सुविधाएं एवं अवस्थापनाएं	0.20

नोटः

- (i) प्लाटेड डेवलपमेंट (आवासीय) तथा औद्योगिक भू—उपयोग के लिए कय योग्य एफ.ए.आर. अनुमन्य नहीं है। आवासीय भू—उपयोग में कय योग्य एफ.ए. आर. केवल ग्रुप हाउसिंग के लिए अनुमन्य है।
- (ii) कार्यालय / संस्थागत भू—उपयोग के अंतर्गत समस्त प्रकार के कार्यालय, तकनीकी एवं प्रबन्धन संस्थाएं शमिल होंगी।
- (iii) सामुदायिक तथा सामाजिक सुविधाएं एवं अवस्थापनाओं के अंतर्गत स्कूल, चिकित्सालय, पोस्ट आफिस, पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन, बारात घर / सामुदायिक केन्द्र आदि शामिल होंगे।

स्पष्टीकरणः

कय—योग्य एफ.ए.आर. शुल्क की गणना हेतु विकास प्राधिकरण की वर्तमान आवासीय दर/जिलाधिकारी के वर्तमान सर्किल रेट का आशय कय—योग्य एफ.ए.आर. की अनुमन्यता हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदन की तिथि को लागू दर से हैं।

s	आफिस, पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन, बारात घर/सामुदायिक केन्द्र आदि शामिल होंगे। स्पष्टीकरणः	
	(i) क्य योग्य एफ ए आर. शुल्क की गणना हेतु विकास प्राधिकरण की वर्तमान सेक्टर दर/जिलाधिकारी के वर्तमान सर्किल रेट के अंतर्गत "वर्तमान" शब्द का तात्पर्य मानचित्र स्वीकृति (Date of Plan Approval) की तिथि को लागू दर से हैं।	
	(ii) प्राधिकरण के "वर्तमान सेक्टर रेट" का तात्पर्य "वर्तमान आवासीय दर" से हैं।	
3.5.3 (1)	महायोजना / जोनल प्लान / ले—आउट प्लान में "राइट—आफ—वे" से प्रभावित / सड़क विस्तारीकरण के अर्तगत आ रही भूमि अथवा जन सुविधाओं यथा ग्रीन बर्ज, ग्रीन बेल्ट, पार्क, इलेक्ट्रिक सब—स्टेशन, पोस्ट आफिस, बस स्टैंड, आदि हेतु आरक्षित भूमि से प्रभावित भूखण्डों के लिए कम्पनसेंटरी एफ ए.आर.अनुमन्य होगा। यदि प्रभावित भूमि भू—स्वामी द्वारा प्राधिकरण को नि:शुल्क हस्तांतरित कर दी जाए। कम्पनसेंटरी एफ ए. आर प्रभावित भूमि के 50 प्रतिशत के बराबर परन्तु उस भूखण्ड हेतु अवशेष भूमि पर अनुमन्य कुल एफ ए.आर.के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।	महायोजना / जोनल प्लान / ले-आउट प्लान में 'राइट-आफ-वे" से प्रभावित / सड़क विस्तारीकरण के अंतगत आ रही भूमि अथवा जन सुविधाओं यथा ग्रीन बर्ज, ग्रीन बेल्ट, पार्क, इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन, पोस्ट आफिस, बस स्टैंड,आदि हेतु आरक्षित भूमि से प्रभावित भूखण्डों के लिए कम्पनसेंटरी एफ ए.आर अनुमन्य होगा, बशर्त ऐसी भूमि, भू-स्वामी द्वारा प्राधिकरण / सम्बन्धित विमाग को निःशुल्क हस्तांतरित कर दी जाए। कम्पनसेंटरी एफ ए. आर प्रमावित मूमि के 50 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर होगा जिसका उपयोग उस भूखण्ड की अवशेष भूमि / ले-आउट पर विभिन्न मू-उपयोगों में समानुपातिक रूप से किया जाएगा।
3.5.3 (II)	ब्रांदि कम्पनसंदर्शे एफ.ए.आर. की देयता किसी भूखण्ड विशेष से नक्किकर सम्पूर्ण सब—डिवीजन प्लान/ले—आउट प्लानकि योजना पर हो, तो भू—स्वामी द्वारा जनसुविधा यथा पार्क/ग्रीन बेल्ट, सड़क आदि से प्रभावित भूमि सार्वजितक प्रयोजनार्थ निःशुल्क उपलब्ध कराने की दशा में ऐसी भूमि के कुल क्षेत्रफल के 25 प्रतिशत के बराबर तल क्षेत्रफल (0.25 एफ.ए.आर.) अनुमन्य होगा, जिसे ले—आउट प्लान/योजना के विकय योग्य क्षेत्रफल मुख्य रूप से व्यवसायिक, ग्रुप हाउसिंग, कार्यालय तथा संस्थागत भू—उपयोगो में समानुपातिक रूप से उपयोग किया जा सकेगा।	डिलीट किया जाता है।
3.5,6 (I)	आच्छादित क्षेत्र के अन्तर्गत, उद्यान, अनाच्छादित स्वीमिंग पूल, खुला चबूतरा, चहारदीवारी, झूला, स्लाइड, फव्वारा, अनाच्छादित जीना तथा अनुझेय सीमा तक परगोला, छज्जे, बालकनी तथा पोर्च (जिसके ऊपर निर्माण न हो) सम्मिलित नहीं होंगे।	आच्छादित क्षेत्र के अन्तर्गत, उद्यान, अनाच्छादित स्वीमिंग पूल, खुला चबूतरा, चहारदीवारी, झूला, स्लाइड, फव्वारा, अनाच्छादित जीना तथा अनुज्ञेय सीमा तक परगोला, छज्जे, बालकनी तथा पोर्च एवं आकेंड (जिसके ऊपर निर्माण न हो) सम्मिलित नहीं होंगे।
3.5.6 (II)	20 एकड तक के व्यवसायिक, समूह आवास, संस्थागत, कार्यालय, सामुदायिक सुविधाओं उपयोग तथा अन्य बहुखण्डीय भवनों में आच्छादित क्षेत्र का 5 प्रतिशत परन्तु अधिकतम 50 वर्ग मीटर तथा 20 एकड से अधिक क्षेत्रफल की योजनाओं में अधिकतम 100 वर्गमीटर अतिरिक्त आच्छादित क्षेत्र प्रवेश द्वार के निकट गार्ड रूम, जनरेटर रूम, इलैक्ट्रिक स्वीच रूम, मीटर रूम व ट्यूब वेल के लिए इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होगा कि अग्निशमन सुरक्षा की अपेक्षाओं का उल्लंबन न हो।	4000 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक, समूह आवास, संस्थागत, कार्यालय, सामुदायिक सुविधाओं उपयोग तथा अन्य बहुखण्डीय मवनों में आच्छादित क्षेत्र का 5 प्रतिशत परन्तु अधिकतम 50 वर्गमीटर जबिक 4000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल की योजनाओं में अधिकतम 100 वर्ग मीटर अतिरिक्त आच्छादित क्षेत्रगार्ड रूम (प्रवेश द्वार के निकट), जनरेटर रूम, इलैक्ट्रिक स्विच रूम, मीटर रूम व ट्यूबवेल के लिए इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होगा कि अग्निशमन सुरक्षा की अपेक्षाओं का उल्लंघन न हो।
3.6.5 (III)	भवन में पहुँच मार्ग की ऊँचाई सड़क के मध्य से 0.15 मीटर से अधिक नहीं होगी। गाड़ी इत्यादि जाने हेतु के0सी0 ड्रेन के ऊँपर बने रैम्प की लम्बाई भूखण्ड की सीमा से 1.0 मीटर से अधिक नहीं होगी।	भवन हेतु पहुँच मार्ग की ऊँचाई सड़क के मध्य से 0.30 मीटर से अधिक नहीं होगी। गाड़ी इत्यादि जाने हेतु के0सी0 ड्रेन के ऊँपर बने रैम्प की लम्बाई भूखण्ड की सीमा से 1.0 मीटर से अधिक नहीं होगी।
3.6.8 सर्विस फलोर	भवन से सम्बन्धित पाइप्स, सर्विस डक्ट्स, इत्यादि के उपयोग हेतु ग्रुप हाउसिंग, व्यवसायिक, कार्यालय, औद्योगिक, होटल, अस्पताल तथा मिश्रित उपयोग के	भवन से संबंधित पाइप्स, सर्विस डक्ट्स, इत्यादि के उपयोग हेतु ग्रुप हाउसिंग, व्यावसायिक कार्यालय, औद्योगिक, होटल, अस्पताल तथा मिश्रित उपयोग के

बहुमंजिले भवनों में अधिकतम 2.10 मीटर ('फ्लोर' से 'सीलिंग तक) की ऊँचाई का सर्विस फ्लोर अनुमन्य होगा, जिसकी गणना एफ.ए.आर. में नहीं की जाएगी। सर्विस फ्लोर का प्राविधान प्रत्येक 4 मंजिल के उपरान्त किया जा सकता है, परन्तु एक भवन में अधिकतम 3 सर्विस फ्लोर अनुमन्य होंगे।

3.7.1 (IV)

यदि निवास हेतु प्रयुक्त होने वाले कमरे के लिए प्रकाश और सवातन आन्तरिक खुले स्थान से हो तो ऐसे खुले स्थान का क्षेत्रफल 12.5 मीटर तक की ऊँचाई के भूखण्डीय विकास एवं 10.5 मीटर की ऊँचाई तक के अन्य भवनों के लिए न्यूनतम 7.5 वर्गमीटर तथा न्यूनतम चौड़ाई 2.5 मीटर होगी। उपरोक्त से अधिक ऊँचे भवनों के लिए आन्तरिक खुलेस्थान की न्यूनतम चौड़ाई 3 मीटर तथा आन्तरिक खुलेस्थान की न्यूनतम चौड़ाई 3 मीटर तथा आन्तरिक खुलेस्थान की क्षेत्रफल उससे संलग्न सबसे ऊँची दीवार की ऊँचाई के 1/5 के वर्ग (Square) के बराबर होगा यथा—सबसे ऊँची दीवार की ऊँचाई 30 मीटर है, तो आन्तरिक खुले स्थान का क्षेत्रफल (30x1/5) x(3x1/5) =36 वर्गमीटर होगा।

बहुमंजिले भवनों में सर्विस फ्लोर अनुमन्य होगा जिसके गणना एफ ए.आर में नहीं की जायेगी। बहुमंजिले भवनों में प्रत्येक 4 मंजिल पर एक सर्विस फ्लोर अनुमन्य होंगे, परन्तु एक भवन में अधिकत्तम 3 सर्विस फ्लोर इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होंगे कि दो अनुवर्ती तलों में निरन्तरता में दो सर्विस फ्लोर का प्राविधान नहीं किया जाएगा।

यदि निवास हेतु प्रयुक्त होने वाले कमरे के लिए प्रकाश और संवातन आन्तरिक खुले स्थान से हो तो ऐसे खुले स्थान का क्षेत्रफल 12.5 मीटर ऊचाई तक के मवनों के लिए न्यूनतम 7.5 वर्गमीटर तथा न्यूनतम चौड़ाई 2.5 मीटर होगी। उपरोक्त से अधिक ऊँचे भवनों के लिए आन्तरिक खुले स्थान की न्यूनतम चौड़ाई 3 मीटर तथा आन्तरिक खुले स्थान का क्षेत्रफल उससे सलग्न सबसे ऊँची दीवार की ऊँचाई के 1/5 के वर्ग (Square) के बराबर होगा यथा—सबसे ऊँची दीवार की ऊँचाई 30 मीटर है, तो आन्तरिक खुले स्थान का क्षेत्रफल (30x1/5) x(3x1/5) =36 वर्गमीटर होगा।

3.7.3 (I)

संडास और रनानघर, आदि संवातन हेतु सामने, पार्श्व, पीछे अथवा आन्तरिक खुले स्थान अथवा 3.0 मीटर से कम चौड़ाई के बरामदे की ओर न खुल रहे हो, तो उनका संवातन शाफ्ट द्वारा होगा, जिसका आकार एवं माप निम्नानुसार होगा —

भवन की ऊँचाई (मीटर)	संवातन शाफ्ट का आकार (वर्ग मीटर)	शाफ्ट की न्यूनतम चौड़ाई(मीटर)
07 तक	1.2	0.9
भूखण्डीय विकास में 12.5 एवं अन्य भवनों में 10.5 तक	2.8	1.2
18 तक	4.0	1.5
24 तक	5.4	1.8
30 तक	8.0	2.4
30 से अधिक	9.0	3.0

3.7.3 (I) टिप्पणी : भूखण्डीय विकास में 12.5 मी. से अधिक तथा अन्य भवनों में 10.5 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवनों में प्राविधानित संवातन शाफ्ट की सफाई एवं अनुरक्षण हेतु शैफट में प्रवेश की व्यवस्था की जाएगी।

3.8.2 चहारदीवारी

- (i) सामने की कम्पाउण्ड दीवार की अधिकतम ऊँचाई सड़क की मध्य रेखा के स्तर से 1.65 मीटर ऊपर होगी।
- (ii) पीछे की तथा पार्श्व की कम्पाउण्ड दीवारों की ऊँचाई अधिकतम 2.40 मीटर जिसका न्यूनतम 0.90 मीटर ऊपरी भाग जाली/ग्रिलयुक्त होगा।

3.8.3° (III) अन्मन्यता एट्रियम की अनुमित व्यवसायिक, कार्यालय, मल्टीप्लेक्स तथा सार्वजनिक एवं अर्द्ध—सार्वजनिक प्रतिष्ठानो , जिनका न्यूनतम क्षेत्रफल ४००० वर्गमीटर हो, में देय होगी।

3.8.3 (IV)

एट्रियम की आन्तरिक चौड़ाई उसकी कुल ऊँचाई के आधे से कम नहीं होगी। संडास और स्नानघर, आदि संवातन हेतु सामने, पार्श्व, पीछे अथवा आन्तरिक खुले स्थान अथवा 3.0 मीटर से कम चौड़ाई के बरामदे की ओर न खुल रहे हो, तो उनका संवातन शाफ्ट द्वारा होगा, जिसका आकार एवं माप निम्नानुसार होगा:—

मवन की ऊँ चाई (मीटर)	संवातन शाफुट का आकार (वर्ग मीटर)	शाफ्ट की न्यूनतम चौड़ाई (मीटर)
07 तक	12	0.9
12.5 तक	2.0	1.2
18 तक	4.0	1.5
24 तक	5.4	1.8
30 तक	8.0	2.4
30 से अधिक	9.0	3.0

12.5 मीटर से अधिक ऊँचाई के मवनों में प्राविधानित संवातन शाफ्ट की सफाई एवं अनुरक्षण हेतु शाफ्ट में प्रवेश की व्यवस्था की जाएगी।

- (i) सामने की कम्पाउण्ड दीवार की अधिकतम ऊँचाई 2.40 मीटर होगी जिसका न्यूनतम 0.90 मीटर ऊपरी भाग जाली/ग्रिलयुक्त होगा।
- (ii) पीछे की तथा पार्श्व कीं कम्पाउण्ड दीवारों की अधिकतम ऊँचाई 2.40 मीटर होगी।

एट्रियम की अनुमित व्यवसायिक (शापिंग माल, मल्टीप्लेक्स, होटल, आदि), कार्यालय तथा सार्वजनिक एवं अर्द्ध—सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, जिनका न्यूनतम क्षेत्रफल 4000 वर्गमीटर हो, में देय होगी। मिश्रित उपयोग के अन्तर्गत एट्रियम की अनुमित मूखण्ड का न्यूनतम आकार सम्बन्धी अपेक्षाएं पूर्ण होने की स्थिति में देय होंगी।

एट्रियम की आंतरिक चौड़ाई उसकी कुल ऊँचाई की आधी अथवा 7.5 मीटर, दोनों में जो अधिक हो, होगी।

	3.8.4					ानव इणि	हासी हेतु 'डया—2005	नेशनल के भा	ा विकि ग—4 व	मवनों से सुरक्षित लेंडंग कोड आफ के प्रस्तर—4.5 की
	3.8.5					कार के इणि	क्षाओं का प रीडोर एवं रं प्राविधान डया—2005 क्षाओं का प	ौसेज : म हेतु नेश के भाग	वनों में नल हि	कारीडोर एवं पैसेज विल्डंग कोड आफ के प्रस्तर—४८ की
	3.9.1(III)	सेफ्र	ी सुनिश्चित	र्गाण बगल की स करते हुए बग दूरी पर अनुमन्य	म्पत्तियों की स्ट्रक्चरत ल की सम्पत्तियों सं होगा"।	न बेस ने सेपर	मेंट का निम टी सुनिश्चित न्यूनतम 2	णि बगल त करते ह	की संप ए मखण	ना। त्तियों की स्ट्रक्चरल ड की समी सीमाओं बाद ही अनुमन्य
	3.9.2 (1)	4 मी की उ	टर तथा अधि ऊँचाई, निर्धा ट के संपूर्ण	विकतम ४.० मीट रेत ऊँचाई से आ	लिंग तक न्यूनतम 2 र ऊँचा होगा। बेसमेंट धेक होने की दशा में गना एफ.ए.आर.में की	. बेसं 2.1 i परन जान	मेंट का प्रत्र मीटर तथा तु बेसमेंट	। अधितकः में मैकेनाइ । में बेस	तम ४. ज्ड पार् मेंट की	बीम तक न्यूनतम 5 मीटर ऊँचा होगा, केंग प्रस्तावित किए ऊँचाई वास्तविक
,	3.9.3(1)	विभिन् तालिव	मनुसार अनुमन	य होगाः—	न्ट का निर्माण निम्न	विभिन		हे भवनों ग		ट का निर्माण निम्न
		क. सं.	मूखण्ड का क्षेत्रफल 💡 (वर्ग मी.)	मू-उपयोग की प्रकृति	बेसमेन्ट के प्राविधान	क. सं.	मूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	मू-उपयोग प्रकृति	ा की	बेसमेन्ट के प्राविधान
,		1.	100 तक	1.1 आवासीय / अन्य गैर —व्यावसायिक	अनुमन्य नहीं	1.	100 तक	1.1 आवासी गैर —व्यावर		अनुमन्य नहीं
,		2.	100 से	1.2 कार्यालय एवं व्यावसायिक 2.1 आवासीय	भू-आच्छादन का 50 प्रतिशत			1.2 कार्याल व्यावसायिक		भू आच्छादन का 50 प्रतिशत
			अधिक प्रन्तु [ः] 500 तक	2.2 ^{ेंगैर} –आवासीय	भू-आच्छादन का 20 प्रतिशत भू-आच्छादन के बराबर	2.	100 से अधिक परन्तु 500 तक	. 2.1 आवासी		मू-आच्छादन के बराबर
•		3.	500 से	3.1 आवासीय	बिल्डिंग इन्चेल्प लाइन			2.2 गैरअ	।।वासीय	भू-आच्छादन के बराबर
			अधिक परन्तु 1000 तक	3.2. गैर –आवासीय	तक एक बेसमेन्ट बिल्डिंग इन्चेल्प लाइन	3.	500 से अधिक परन्तु 1000 तक	3.1 आवासी		बिल्डिंग इन्चेल्प लाइन तक एक बेसमेन्ट
		4.	1000 से अधिक	4.1 आवासीय / ग्रुप हाउसिंग,	तक दो बेसमेन्ट 1000—2000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के भूखण्डों			3.2. गैर -3		बिल्डिंग इन्चेल्प लाइन तक दो बेसमेन्ट
e menti sa amenda di sama a di				व्यावसायिक कार्यालय, सामुदायिक सुविधाएं एवं अन्य बहुमजिले भवन	में डबल बेसमेंट, 2000-10,000 तक 4 बेसमेंट तथा 10,000 वर्ग मीटर से अधिक में कोई प्रतिबंध नहीं।		1000 से अधिक	4.1 आवासीय हाउसिंग, व्य कार्यालय, स सुविधाएं एवं बहुमंजिले भव	ावसायिक ामुदायिक अन्य	बिल्डिंग एनवेलप लाइन तक— (क) 1000—2000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के मुखण्डों में डबल बेसमेंट।
				4.2 औद्योगिक	अनुमन्य भू—आच्छादन के बराबर परन्तु 50 प्रतिशत की गणना एफ ए.आर. में होगी।					(ख) 2000—10,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक 4 बेसमेंट तथा 10,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के मूखण्डों में कोई प्रतिबंध नहीं।
•							1911	4.2 ओद्योगिव	5	बिल्डिंग एन्चेल्प लाइन तक दो बेसमेंट
***************************************	7	खल'' होगाः–	के लिए र	ार्कुलेशन एरिया	प्रत्येक ''समान कार सहित निम्न मानक	पार्किंग स्थल'' होगाः–	के लिए	के आधार सर्कुलेशन	र पर प्र एरिया	त्येक ''समान कार सहित निम्न मानक
			खुले क्षेत्र में) कवर्ड पार्किं		: 23 वर्ग मीटर : 28 वर्ग मीटर	(ক) (ख)	खुले क्षेत्र में पा कवर्ड पार्किंग	to the second second second	23 वर्ग । 28 वर्ग ।	
			बेसमेन्ट में प मेकेनाइज्ड प		: 32 वर्ग मीटर : 16 वर्गमीटर	(ग) (ঘ) (স্ভ)	बेसमेन्ट में पारि मेकेनाइज्ड पारि दो पहिय (साईकल सहि	र्हेंग ा वाहन	32 वर्ग म 16 वर्गमी	गिटर टर अथवा वास्तविक के आधार पर

3.10.3 कथ सं1	(ख) समूह आवास (ग्रुप अन्य न हाउसिंग) नोट : कुल पार्कि	गर प्रत्येक १००	वर्गमी. तल क्षेत्रफल पर 1.5 वर्गमी. तल क्षेत्रफल पर 1.25) प्रतिशत भाग विजिटर्स
	पार्किंग' व प्रवेश एव जाएगी।	हे लिए आरीक्ष i निकास व	त किया जाएगा, जिसमें ही उचित व्यवस्था की
3.10.3 कम सं.2	(क)नगर केन्द्र/ उप— नगर केन्द्र	मेट्रो नगर अन्य नगर	प्रत्येक 100 व.मी. तल क्षेत्रफल पर 3.0 प्रत्येक 100 व.मी. तल क्षेत्रफल पर 2,0
	(ख)सेक्टर शापिंग बाजार स्ट्रीट,	प्रत्येक १०० व.१	भी. तल क्षेत्रफल पर 1.5
	(ग)कन्वीनिएन्ट शापिंग	मेट्रो नगर	प्रत्येक 100 व.मी. तल क्षेत्रफल पर 2.0
		अन्य नंगर	प्रत्येक 100 व.मी. तल क्षेत्रफल पर 1.0
3.10.7	पार्किंगें हेतु ताल सम्मिलित किए	गाबन्द बैराज प जाएंगे	एफ.ए.आर. की गणना में
	<u> </u>	क्ता अस्य सर	मंजिले भवनों में पार्किंग है

 50 वर्गमी. तल क्षेत्रफल से कम के प्रत्येक फ्लैट (ख) समूह पर दो पहिया वाहन हेतु 02 वर्गमी. क्षेत्रफल • 50 वर्गमी.—100 वर्गमी. तक तल क्षेत्रफल के हाउसिंग) प्रत्येक फ्लैट पर 1.0 • 100 वर्गमी. से अधिक—150 वर्गमी. तक तल क्षेत्रफल के प्रत्येक फ्लैंट पर 1.25 • 150 वर्गमी. से अधिक तल क्षेत्रफल के प्रत्येक फ्लैट पर 1.50 नोट : उपरोक्तानुसार आंकलित पार्किंग क्षेत्र के 10

प्रतिशत माग के बराबर 'विजिटर्स पार्किंग' अतिरिक्त रूप से आरक्षित किया जाएगा, जिसमें प्रवेश एवं निकास की उचित व्यवस्था की जाएगी।

(क) नगर केन्द्र / सी.बी. डी.	मेट्रो नगर	प्रत्येक 100 व.मी. तल क्षेत्रफल पर 2:0
	अन्य नगर	प्रत्येक 100 व.मी. तल क्षेत्रफल पर 1.5
(ख) उपनगर केन्द्र / सब—सी.बी.डी. / जोनल	मेट्रो नगर	प्रत्येक 100 व.मी. तल क्षेत्रफल पर 1.5
व्यावसायिक केन्द्र	अन्य नगर	प्रत्येक 100 व.मी. तल क्षेत्रफल पर 1.25
(ग) अन्य व्यावसायिक (सेक्ट्र/नेबर-हुड/	नगर	प्रत्येक 100 व.मी. तल क्षेत्रफल पर 1.25
स्थानीय स्तर के शॉपिंग सेन्टर, बाजार स्ट्रीट एवं सुविधाजनक दकानें)	अन्य	प्रत्येक 100 व.मी. तल क्षेत्रफल पर 1.0

पार्किंग हेतु तालाबन्द गैराज एफ.ए.आर. की गणना में सम्मिलित किए जाएंगे। भूखण्डीय विकास में तालाबन्द गैराज यदि भवन के साइड सेट-बैक के पृष्ठ भाग में प्रस्तावित / निर्मित कियू जाते हैं, तो उनकी गणना एफ.ए.आर.में सम्मिलित हैंहीं की जाएगी।

गुप हाउसिंग तथा अन्य बहुमंजिले मवनों में पार्कि ग हेतु स्टिल्ट का निर्माण अनुमन्य होगा जिसकी गणना एफ.ए.आर. में नहीं की जाएगी, परन्तु भवन की ऊँचाई में गणना की जाएगी। स्टिल्ट पर केवल खुली पार्किंग अनुमन्य होगी तथा उसे कवर्ड पार्किंग बनाने (दो से अधिक साइड्स में कवर करने) पर स्टिल्ट फ्लोर की गणना एफ.ए.आर. में की जाएगी। पार्किंग प्रयोजन हेतु पोडियम का निर्माण बिल्डिंग एनवेलप लाइन तक निम्न प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य होगाः-

- (i) मूखण्ड का न्यूनतम् क्षेत्रफल 10,000 वर्ग मीटर
- (ii) सड़क की न्यूनतम् चौड़ाई 24 मीटर होगी।
- (iii) सेट-बैंक के अन्तर्गत पोडियम पार्किंग के उपयोगार्थ रैम्प का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।
- (iv) पोडियम के निर्माण के फलस्वरूप पार्क एवं खुले क्षेत्र/ग्रीन एरिया का क्षेत्रफल कम नहीं होना चाहिए।
- (v) फायर सेफ्टी से सम्बन्धित अपेक्षाओं का सुनिश्चित होना चाहिए।

टिप्पणीः पोडियम् पार्किंग में अनुमन्य मू-आच्छादन की अधिकतम 10 प्रतिशत सीमान्तर्गत ब्राइवर रेस्टरूम, स्टोर, सैनिटरी ब्लाक एवं अन्य समरूप सेवाएं अनुमन्य होंगी।

गुप—हाउसिंग तथा अन्य बहुमंजिले भवनों में पार्किंग हेतु स्टिल्ट फ्लोर का निर्माण भू-आच्छादन के बराबर अनुमन्य होगा जिसकी बीम तक अधिकतम ऊँचाई 2.1 मीटर होगी एवं उसकी गणना एफ.ए.आर. में नहीं की जायेगी, परन्तु भवन की ऊँचाई में गणना की जायेगी। स्टिल्ट पर केवल खुली पार्किंग अनुमन्य होगी तथा उसे कवर पार्किंग बनाने (साइड में कवर करने) पर उसकी गणना एफ.ए.आर. में की जायेगी।

3.10.9

DATP 2013/building bye laws (Correction)\in Woking\Building Bye-laws - amendments (F 07-04-16) .docx

7, 10, 10(i)	स्टिल्ट फ्लोर के साथ अनुवर्ती तलों पर पार्किंग निम्न प्राविधानों के अधीन अनुमन्य होगी:— (क) प्रत्येक तल की फर्श से सीलिंग तक अधिकतम ऊँचाई 2.10 मी. होगी। (ख) सेट—बैक क्षेत्र में रैम्प का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा। (ग) पार्किंग तलों को चारों तरफ मात्र एक मीटर ऊँची जाली से ढका जा सकेगा तथा दीवारों से बन्द नहीं किया जाएगा।	स्टिल्ट फ्लोर के साथ अनुवर्ती तलों पर पार्किंग निम्न प्राविधानों के अधीन अनुमन्य होगी:— (क) प्रत्येक तल की फर्श से बीम तक अधिकतम ऊँचाई 2.10 मी. होगी। (ख) सेट—बैक क्षेत्र में रैम्प का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा। (ग) पार्किंग तलों की खुली साइड को अधिकतम एक मीटर ऊँची जाली (ग्रिल) से बन्द किया जा सकेगा परन्तु दीवारों से बन्द नहीं किया जाएगा। (घ) टैरेस पर खुली पार्किंग इस शर्त के साथ अनुमन्य होगी कि चारों तरफ अधिकतम एक मी. ऊँची दीवार तथा उसके उपर एक मीटर ऊँची जाली लगायी जाएगी तथा दीवारों से बन्द नहीं किया जाएगा।
3.10.10(ii)	एक एकड एवं उससे अधिक क्षेत्रफल की योजनाओं में 5 प्रतिशत अतिरिक्त भू—आच्छादन के अन्तर्गत मल्टी—लेवल पार्किंग ब्लाक बनाया जा सकता है, जिसकी गणना एफ. ए.आर. में नहीं की जाएगी, परन्तु भूमि के ऊपर यदि बहुमंजिला पार्किंग ब्लाक पृथक से बनाया जाता है, तो मूल भवन एवं पार्किंग ब्लाक के मध्य की दूरी उच्चतम ब्लाक की ऊँचाई के एक तिहाई के बराबर अथवा 6.0 म्थूंदर, जो भी अधिक हो, होगी।	एक एकड़ एवं उससे अधिक क्षेत्रफल की योजनाओं में 5 प्रतिशत अतिरिक्त भू—आच्छादन के अन्तर्गत मल्टी—लेवल पार्किंग ब्लाक बनाया जा सकता है, जिसकी गणना एफ.ए.आर. में नहीं की जाएगी, परन्तु भूमि के ऊपर यदि बहुमंजिला पार्किंग ब्लाक पृथक से बनाया जाता है, तो मूल भवन एवं पार्किंग ब्लाक के मध्य की दूरी उच्चतम ब्लाक की ऊँचाई के आधार पर उस हेतु वांछित सेटबैक अथवा 6.0 मीटर, जो भी अधिक हो, होगी।
3.10.10 (iii)	मैकेमाइज्ड मल्टी—लेबुल पार्किंग व्यवस्था होने की दशा में एक पार्किंग स्थाब का न्यूनतम क्षेत्रफल 16 वर्गमीटर होगा।	मैकेनाइज्ड मल्टी—लेवल पार्किंग की ऊँचाई तथा क्षेत्रफल वास्तविक डिजाइन के आधार पर होगा, जिसे स्वीकृति हेतु प्रस्तुत मानचित्र के साथ ही संलग्न करना होगा।
3.11.1.1	(I) घुमावदार जीनों का प्रयोग लो—आक्युपेन्सी लोड तक सीमित होगा और 10 मीटर तक ऊँचे भवनों में किया जाएगा जब तक सुरक्षित निकलने हेतु प्लेटफार्म तथा बालकनी और खुली छत (टेरेस) से सम्बद्ध न हो।	घुमावदार जीनों का प्रयोग लो—आक्युपेन्सी लोड तक सीमित होगा और 12.5 मीटर तक ऊँचे भवनों में किया जाएगा जब तक सुरक्षित निकलने हेतु प्लेटफार्म तथा बालकनी और खुली छत (टेरेस) से सम्बद्ध न हो।
3.11.9	-	सरकारी संस्थानों / अर्द्धसरकारी संस्थानों / सरकारी स्वैच्छिक संस्थान / सहायता प्राप्त संस्थान / प्रतिष्ठान तथा 5000 वर्गमीटर एवं अधिक क्षेत्रफल के कार्यालय, हाउसिंग एवं कामर्शियल काम्पलेक्स व अन्य भवनों में रूफटाप सोलर फोटोवोल्टाईक पावर प्लाप्ट की स्थापना भवन के कुर्सी क्षेत्रफल के न्यूनतम 25 प्रतिशत रूफटाप एरिया पर अनिवार्य रूप से की जायेगी।"
	अधिकतम भू—आच्छादन ४० प्रतिशत एवं तल क्षेत्रानुपात 1.2 अनुमन्य होगा, परन्तु २४.० मीटर एवं अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित भूखण्डों पर तल क्षेत्रानुपात 1.5 अनुमन्य होगा। बाजार—स्ट्रीट' भू—उपयोग में होटल के लिए अधिकतम भू—आच्छादन एवं एफ.ए.आर के मानक प्रस्तर—3.5.1 के कमांक—8 के अनुसार होंगे।	बाजार स्ट्रीट भूखण्डों में प्रस्तर—3.5.1 के अन्तर्गत ''अन्य व्यवसायिक'' हेतु निर्धारित भू—आच्छादन एवं एफ.ए.आर. अनुमन्य होंगा। 'बाजार—स्ट्रीट' भू—उपयोग में होटल के लिए अधिकतम भू—आच्छादन एवं एफ.ए.आर के मानक प्रस्तर— 3.5.1 के कमांक—8 के अनुसार होंगे।
4.1 (VIII)	व्यवसायिक उपयोग भूतल एवं प्रथम तल पर ही अनुमन्य होगा, जबकि अनुवर्ती तलों पर आवासीय उपयोग रहेगा।	व्यवसायिक उपयोग भूतल एवं प्रथम तल पर ही अनुमन्य होगा, जबकि अनुवर्ती तलों पर आवासीय उपयोग रहेगा। भूखण्ड स्वामी के अनुरोध पर सभी तलों पर आवासीय उपयोग अनुमन्य किया जा सकेगा।
5.1 (I) भूखण्ड का क्षेत्रफल	होटल की अनुज्ञा हेतु भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर होगा जो आवासीय क्षेत्र में न्यूनतम 18 मीटर चोडे विद्यमान मार्ग तथा गैर—आवासीय क्षेत्रों मे न्यूनतम 24 मीटर चौड़े विद्यमान मार्ग पर स्थित होगा।	भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर होगा जो निर्मित/विकसित क्षेत्र में न्यूनतम 12 मीटर चौड़े तथा नए/अविकसित क्षेत्र में न्यूनतम 18 मीटर चौड़े विद्यमान मार्ग पर स्थित होगा। महायोजना/परिक्षेत्रीय योजना तथा सेक्टर/ले—आउट प्लान में निर्दिष्ट स्थलों

मापें एवं मानक	की
8.4 अन्य अपेक्षाएं	
8.4 अन्य अपेक्षाएं	
9.3	
12.1 अनुमन्यूला	

प्रयोजन / मूखण्ड की मापें	भूआच्छादन (प्रतिशत)	एफ.ए. आर.	फन्ट सेट— बैक(मी.)	भवन की ऊँचाई (मीटर)
(अ) पेट्रोल पम्प ∕ फिलिंग	ा स्टेशन			
(i) 18मी. x15मी.	10	0.1	3.0	6.0
(II) 30मी. x17मी.	10	0.1	3.0	6.0
ब) फिलिंग स्टेशन कम-	सर्विस स्टेशन			d., 4., ,
(I) 36相. x30相.	20	0.2	6.0	6.0
(II) 45मी. x36मी.	20	0.2	6.0	6.0

- (I) कैनौपी का निर्माण सेट-बैक लाईन के भीतर अस्थाई संरचना के रूप में अनुमन्य होगा, जिसकी भूतल से न्यूनतम ऊँचाई 6 मीटर होगी।
- (II) मैजेनाईन फ्लोर का निर्माण करने पर उसकी गणना एफ.ए.आर. में होगी।
- (III) नगरीय अथवा ग्रामीण क्षेत्र में कहीं पर भी स्थित भूखण्ड की माप 45 मी. x 36 मी. से अधिक होने पर अनुमन्य भू-आच्छादन व एफ.ए.आर. 45 मी.x36 मी. के भूखण्ड की सीमा तक ही अनुमन्य होगा।

(I) पेट्रोल पम्प /फ़िलिंग स्टेशन फिलिंग स्टेशन—कम—सिंस स्टेशन न्यूनतम 24 मीटर चौड़े विद्यमान मार्ग पर स्थित होगा।

(III) पेट्रोल फिलिंग .स्टेशन / पेट्रोल फिलिंग स्टेशन-कम-सर्विस स्टेशन का निर्माण महायोजना मार्गो के कासिंग से न्यूनतम 30 मीटर की दूरी पर अनुमन्य होगा।

क्षेत्रफल – भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 1000 वर्गमीटर होगा।

(I) सेलुलर/मोबाइल/बेसिक टेलीफोन प्रयोजनार्थ टावर के निर्माण की अनुज्ञा सामान्यतः पार्क एवं खुले स्थल, ग्रीन वर्ज, कृषि भू –उपयोग एवं समरूप प्रकृति के भू—उपयोगों के अन्तर्गत ही प्रदान की जाएगी, जबकि अन्य भू–उपयोगों यथा आवासीय, व्यवसायिक, कार्यालय आदि में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा विशेष परिस्थितियों में देय होगी, परन्तु आवासीय भवनों में टावर निर्माण हेतु आवेदन पत्र के साथ 'रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोसियेशन' अनापितत/ सहमति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। "प्लाटेड

पर तथा स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्र में भूखण्ड का के इससे कम हो सकता है।

प्रयोजन / मूखण्ड की मापे	मू— आच्छादन (प्रतिशत)	एफ.ए. आर.	फन्ट सेट- बैक(मी.)	भवन की ऊँचाई (भीटर)
(अ) पेट्रोल पम्प	/फिलिंग स्टेश	 न		
18मी. x14मी.	10	0.1	3.0	6.0
ब) फिलिंग स्टेश	न कम-सर्विस	स्टेशन		
25मी. x25मी.	20	0.2	6.0	6.0

टिप्पणी:

- (I) भवन की अधिकतम ऊंचाई 6.0 मीटर होगी।
- (II) कैनौपी का निर्माण सेट-बैक लाईन के भीतर अस्थाई संरचना के रूप में अनुमन्य होगा, जिसकी भूतल से न्यूनतम ऊँचाई 6.0 मीटर होगी।
- (III) मैजेनाईन फ्लोर का निर्माण करने पर उसकी गणना एफ.ए.आर. में होगी।
- (IV) पेट्रोल पम्प / फिलिंग स्टेशन के आकार / मापों में अधिकतम 15 प्रतिशत शिथिलीकरण प्राधिकरण बोर्ड द्वारा इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगा कि फिलिंग टावर के चारों ओर विस्फोटक सुरक्षा की दृष्टि से न्यूनतम 6.0 मी. अवरोधमुक्त स्थान उपलब्ध होना चाहिए।

पेट्रोल पम्प/फिलिंग स्टेशन तथा फिलिंग स्टेशन-कम-सर्विस स्टेशन 'निर्मित्रु एवं 'विकसित क्षेत्र' में न्यूनतम चौड़ाई 12 मीटर 👸 चौड़े विद्यमान मार्ग तथा नए/अविकसित क्षेत्र में न्यूनतम 24 मीट्सू चौड़े विद्यमान मार्ग पर स्थित होगा।

पेट्रोल पम्प / फिलिंग स्टेशन का निर्माण महायोजना मार्गो के कासिंग से न्यूनतम 30 मीटर की दूरी पर अनुमन्य होगा। परन्तु महायोजना मार्गो के 'जंक्शन' से निर्धारित न्यूनतम दूरी (30 मीटर) में अधिकतम 15 प्रतिशत शिथिलीकरण प्राधिकरण बोर्ड द्वारा केवल उसी दशा में अनुमन्य होगा जबिक पेट्रोल पम्प/फिलिंग स्टेशन हेतु प्रस्तावित भूखण्ड, जंक्शन के निकास की दिशा (एक्जिट साइड) में स्थित हो।

भूखण्ड की माप – एल.पी.जी. गैस गोदाम हेतु भूखण्ड की माप 25 मी.x 30 मी. से 31 मी.x 36 मी. तक होगी।

(I) सेलुलर / मोबाइल / बेसिक टेलीफोन प्रयोजनार्थ टावर के निर्माण की अनुज्ञा सामान्यतः पार्क एवं खुले स्थल, ग्रीन वर्ज, कृषि भू –उपयोग एवं समरूप प्रकृति के भू-उपयोगों के अन्तर्गत ही प्रदान की जाएगी, जबकि अन्य उपयोगों यथा आवासीय, व्यवसायिक, कार्यालय आदि में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा विशेष अनुमति से देय होगी।

j	The second secon	
>	डेवलपमेंट के अंतर्गत टावर की स्थापना के लिए	
	आर डब्लू ए. से अनापत्ति प्राप्त करना आवश्यक नहीं	Ť
	होगा,परन्तु ग्रुप हाउसिंग एवं बहुमंजिले भवनों हेतु	
	आर.डब्लू.ए. की अनापत्ति / सहमति अनिवार्य होगी।	
12.4		4जी नेटवर्क के लिए एच.डी.डी. विधि से आप्टिकल
		फाइबर केबिल बिछाने, ग्रांचण्ड बेस्ड मास्ट (जी.बी.एम.)
		स्थापित करने तथा ओवर हेड वायर के लिए पोल लगाने
		की अनमनि पायानीय में अध्य की विष्णु पाल लगान
		की अनुमति शासनादेश सं.—1485/नौ—9—2012—161ज/
		12, दिनांक 15.10.2012 के प्रस्तर—8(9) एवं 8(10) में
		निर्धारित जमानती राशि का भुगतान किए जाने एवं उक्त
		शासनादेश दि. 15.10.2012 में स्थापित व्यवस्था, प्रतिबन्धों
13.3	4. \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	/ शर्तो के अनुपालन की स्थिति में प्रदान की जायेगी।
निर्माण निर्माण	(ख) निर्माण का सुपरविजन भी अहं वास्तुविद की	निर्माण का सुपरविजन भी अर्ह वास्तुविद/अभियंता तथा
अनुज्ञा हेतु	देख-रेख तथा उनके उत्तरदायित्व के अधीन किया	विकासकर्ता की देख-रेख तथा उनके उत्तरदायित्व के
शर्त	जाएगा ताकि सुरक्षा संबंधी निम्न व्यवस्थाओं का	अधीन किया जाएगा ताकि सुरक्षा संबंधी निम्न व्यवस्थाओं
XIXI	अनुपालन सुनिश्चित हो सके :	का अनुपालन सुनिश्चित हो सके :-
14.4	भुखण्ड का क्षेत्रफल—मल्टीप्लेक्स हेतु प्रस्तावित	म्खण्ड का क्षेत्रफलः मल्टीप्लेक्स हेतु प्रस्तावित स्थल/
1	स्थल / भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल ४००० वर्गमीटर	भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 4000 वर्गमी. होगा परन्तु
	होगा।	प्रमाणिका (जोरा क्रांस क्रिकेस 4000 वर्गमा, हागा परन्तु
		महायोजना / जोनल प्लान / सेक्टर प्लान / ले-आउट प्लान
4		जो सक्षम स्तर से अनुमोदित है, में मल्टीप्लेक्स हेतु
	**************************************	चिन्हित स्थलों अथवा विद्यमान छविगृहों को तोड़कर उनके
		स्थान पर मल्टीप्लेक्स प्रस्तावित होने पर उक्त प्रतिबन्ध
-		लागू नहीं होगा अर्थात भूखण्ड का विद्यमान क्षेत्रफल मान्य
445		होगा।
14.5	पहुँच मार्ग-मल्टीप्लेक्स के निर्माण हेतु प्रस्तावित	पहुँच मार्गः मल्टीप्लेंक्स के निर्माण हेतु प्रस्तावित
	रथल / भूखण्ड न्यूनतम २४ मीटर चौड़े विद्यमान मार्ग पर	स्थल/भूखण्ड न्यूनतम २४.० मी. चौड़े विद्यमान मार्ग पर
	स्थित होगा।	स्थित होगा परन्तु महायोजना/जोनल प्लान/सेक्टर
		प्लान / ले-आउट प्लान जो सक्षम स्तर से अनुमोदित है,
		में मल्टीप्लेक्स हेतु चिन्हित स्थलों अथवा विद्यमान छविगृहों
		को तोड़कर उनके स्थान पर मल्टीप्लेक्स प्रस्तावित होने
		पर उक्त प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा अर्थात भूखण्ड का
		विद्यमान पहुँच मार्ग मान्य होगा।
14,7	सेन्ट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट (सी.बी.डी.), डिस्ट्रिक्ट शापिंग	
भू–आच्छादन	सेन्टर, सेक्टर शापिंग सेन्टर, बाजार स्ट्रीट अथवा	नगर केन्द्र / सेन्ट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट (सी.बी.डी.),
एवं एफ.ए.	त वर्ग राजवर सामिन राज्य, बाजार स्ट्राट अथवा	उपनगर केन्द्र (सब-सी.बी.डी.)/जोनल व्यवसायिक केन्द्र,
आर.		अन्य व्यवसायिक अथवा महायोजना मे चिन्हित किसी अन्य
	अधिकतम भू—आच्छादन एवं एफ.ए.आर. भवन उपविधियों	स्थल पर अधिकतम भू-आच्छादन एवं एफ.ए.आर. भवन
	के अनुसार अनुमन्य होगा। गैर-वाणिज्यिक क्षेत्र में	उपविधियों के अनुसार अनुमन्य होगा। गैर-वाणिज्यिक क्षेत्र
	मल्टीप्लेक्स हेतु अधिकतम भू आच्छादन ४० प्रतिशत एवं	में मल्टीप्लेक्स हेतु अधिकतम भू –आच्छादन ५० प्रतिशत
	एक एआर. 1.20 अनुमन्य होगा। इसके अतिरिक्त भवन	एवं एफ.ए.आर. 1.50 अनुमन्य होगा। इसके अतिरिक्त भवन
1 to	जपविधियों के अनुसार निर्धारित सीमा तक क्य योग्य	उपविधियों के अनुसार निर्धारित सीमा तक क्य योग्य एफ.
	एफ ए.आर. भी अनुमन्य होगा। अन्य भू-उपयोगों में	ए.आर. भी अनुमन्य होगा। अन्य भू-उपयोगों में
:	यथास्थिति महायोजना / भवन उपविधियों के अनुसार	यथास्थिति महायोजना / भवन उपविधियों के अनुसार
	भू –आच्छादन एवं एफ.ए.आर अनुमन्य होगा।	भू-आच्छादन एवं एफ.ए.आर अनुमन्य होगा।
15.2.1	भूखण्ड का अधिकतम क्षेत्रफल 300 वर्गमीटर एवं न्यूनतम	भूखण्ड का अधिकतम क्षेत्रफल 300 वर्गमीटर एवं न्यूनतम
भूखण्ड का	फन्टेज 12 मीटर होगा, जो न्यूनतम 18 मीटर चौड़ी	फन्टेज 12 मीटर होगा, जो न्यूनतम 12 मीटर चौड़ी
क्षेत्रफल	विद्यमान सड़क पर स्थित होगा। उक्त सड़क कम	विद्यमान सड़क पर स्थित होगा। उक्त सड़क कम से
:	से कम एक ओर 18 मीटर से अधिक चौड़ी	कम एक और 12 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क पर मिलनी
	सड़क पर मिलनी चाहिए।	चाहिए।
15.2.3		
भवन की		18 मीटर चौड़ी सड़क तक भवन की अधिकतम ऊँचाई
ऊँचाई	1 - A A- A .	12.5 मीटर तथा इससे अधिक चौड़ी सड़क पर अधिकतम
	10 dox diff.	15 मीटर होगी।
		The second secon

19.3	पहुँच मार्ग—अतिथि गृह के लिए प्रस्तावित भूखण्ड न्यूनतम 24.0 मी. चौड़े विद्यमान मार्ग पर स्थित होगा।	पहुँच मार्ग—अतिथि गृह के लिए प्रस्तावित भूखण्ड क् 12.0 मी. चौड़े विद्यमान मार्ग पर स्थित होगा।
21.1 अनुमन्यता	शापिंग माल्स का निर्माण वाणिज्यिक (सी.बी.डी., सब—सी. बी.डी., सेक्टर शापिंग सेन्टर),लघु एवं सेवा उद्योग (प्रदूषण मुक्त व संकटरिहत) भू—उपयोगों में अनुमन्य होगा। परन्तु शापिंग माल के निर्माण की अनुमति देने से पूर्व ट्रैफिक लोड, व्यक्तियों के आवागमन एवं निकास, पार्किंग व्यवस्था, जलापूर्ति, ड्रेनेज, सीवरेज, विद्युत्—आपूर्ति, अग्निशमन व्यवस्था तथा अन्य सुंरक्षा व्यवस्थायें सुनिश्चित की जाएगी।	शापिंग माल का निर्माण व्यवसायिक (सी.बी.डी., सब—क बी.डी., अन्य व्यवसायिक अथवा महायोजना में चिन्हितं व्यवसायिक स्थल), तथा लघु एवं सेवा उद्योग (प्रदूषणमुक्त व संकटरिहत) भू—उपयोगों में अनुमन्य होगा। परन्तु शापिंग माल के निर्माण की अनुमति देने से पूर्व ट्रैफिक लोड, व्यक्तियों के आवागमन एवं निकास, पार्किंग व्यवस्था, जलापूर्ति, ड्रेनेज, सीवरेज, विद्युत्—आपूर्ति, अग्निशमन व्यवस्था तथा अन्य सुरक्षा व्यवस्थायों नियमानुसार सुनिश्चित की जाएगी।
23.3 अन्य अपेक्षाएं	 (I) होटल एवं कार्यालय/संस्थागत भवनो में कुल अनुमन्य एफ ए.आर. का अधिकतम 20 प्रतिशत सर्विस अपार्टमेन्ट्स के लिए प्रयोग किया जा सकता है। (II) व्यवसायिक भू—उपयोग के अन्तर्गत पृथक रूप से सर्विस अपार्टमेन्ट्स बनाए जा सकते हैं, जिनके लिए व्यवसायिक भू—उपयोग में निर्धारित भू—आच्छादन एवं एफ ए.आर. अनुमन्य होगा। 	(I) होटल एवं कार्यालय/संस्थागत भवनो तथा व्यवसायिक भू—उपयोग में कुल अनुमन्य एफ.ए.आर. का अधिकतम 20 प्रतिशत सर्विस अपार्टमेन्ट्स के लिए प्रयोग किया जा सकता है। (II) व्यवसायिक भू—उपयोग के अन्तर्गत कुल अनुमन्य एफ.ए.आर. की 20 प्रतिशत की अधिकतम सीमान्तर्गत पृथक रूप से सर्विस अपार्टमेन्ट्स बनाए जा सकते हैं।
25.4	ऐसे भूखण्ड / विद्यमान छविगृह यदि शासनादेश संख्या—4218 / 9—आ—3—99—42विविध / 99, दिनांक 14. 12.2000 यथासंशोधित शासनादेश संख्या—1663 / श्—आ—3—01—42विविध / 99, दिनांक 18.04.2001 तथा शासनादेश सं 1806 / 9—आ—3—2004—42वि / 99, दिनांक 08.06.2004 में निर्धारित अपेक्षाओं को पूर्ण करते हों, तो इन पर मल्टी प्लेक्स की अनुमति देय होगी।	ऐसे भूखण्ड / विद्यमान छविगृह यदि शासनादेश संख्या—4218 / 9—आ—3—99—42विविध / 99, दिनांक 14.12.2000 यथासंशोधित शासनादेश संख्या—1663 / 9—आ—3—01—42विविध / 99, दिनांक 18.04.2001 तथा शासनादेश सं—1806 / 9—आ—3—2004—42वि / 99, दिनांक 08.06.2004 में निर्धारित अपेक्षाओं को पूर्ण करते हों अथवा विद्यमान छविगृह को तें इकर उसके स्थान पर मल्टीप्लेक्स प्रस्तावित हो, तो इन्हें पर मल्टीप्लेक्स की अनुमित देय होगी।
अनुलग्नक—2 प्रस्तर—5 पूर्णता प्रमाण पत्र अस्वीकार करना	जाँच / परीक्षण में स्वीकृत अथवा शमनित मानचित्र विकास कार्यों के अनुरूप विकास / निर्माण न पाए जाने की स्थित में उपाध्यक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र की स्वीकृति को अस्वीकार कर दिया जाएगा तथा उसके कारणों सिंहत आवेदक को आवेदन करने के 90 दिनों के अन्दर सूचित कर दिया जायेगा, अन्यथा ऐसा नहीं करने पर प्राधिकरण द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र स्वीकृत किया माना जाएगा।	जाँच / परीक्षण में स्वीकृत अथवा शमनित मानचित्र विकास कार्यों के अनुरूप विकास / निर्माण न पाए जाने की स्थिति में उपाध्यक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र की स्वीकृति को अस्वीकार कर दिया जाएगा तथा उसके कारणों सिहत आवेदक को आवेदन करने के 60 दिनों के अन्दर सूचित कर दिया जायेगा, उक्त अविध में प्राधिकरण द्वारा निस्तारण न किए जाने की दशा में आवेदक द्वारा प्राधिकरण को पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए 15 दिन का एक नोटिस दिया जायेगा। इस अविध के पश्चात प्राधिकरण द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र निस्तारित न किए जाने की दशा में प्राधिकरण द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र निस्तारित न किए जाने की दशा में प्राधिकरण द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र स्वीकृत किया (डीम्ड एपूट्ड) माना जाएगा।

O:\TP 2013\building bye laws (Correction)\In Woking\Building 8ye-laws - amendments (F 07-04-16) .do

अध्याय–26

आवासीय भूखण्डों में बहु-आवासीय इकाईयों के निर्माण हेतु अपेक्षाएं

26.1	सामान्य अपेक्षाएं	(i)	महार प्रावि	योजना धानों के	में प्रस्तावित आवार्स अधीन बहु—आवार्स	ीय क्षेत्रों ीय इकाइ	में आवार ईयों की अ	ीय भूखण्डों नुमति देय हं	पर इस ोगी।	उपविधि के
			अन्त अनुर किय संवध	र्गत बहु रूप दी ग जाए र्गन / सृद्	ाभिकरणों द्वारा विव दु—आवासीय इकाईर जाएगी। विकास प्र गा जहाँ बढ़े हुए दृढ़ीकरण सम्भव है द्वे के सापेक्ष उपलब	यों की उ प्राधिकरण ए घनत्व , अथवा	अनुमति ले । बोर्ड द्वार व के सा	1—आउट प्ल रा ऐसी योज ापेक्ष अवस्थ	ान के प्र ानाओं को ापना सुवि	विधानों के चिन्हांकित वेधाओं का
26.2	भूखण्ड का क्षेत्रफल	भूखण्ड कम हो		न्यूनतम	न क्षेत्रफल 150 वर्ग	मीटर त	तथा अधिव	न्तम क्षेत्रफल	7 2000 व	र्ग मीटर से
26.3	पहुँच मार्ग	प्राधिक विद्यमा	रण न स	बोर्ड द्वा ड़क पर	ों द्वारा विकसित / रा चिन्हांकित की स्थित होगा, जबवि 12 मीटर चौड़ी सड़	जाएंगी, के नई प्र	के अन्तर्गत स्तावित क	त भूखण्ड न गी जाने वार्ल	यूनतम 9	मीटर चौड़ी
26.4	आवासीय इका	विकास			ठा न्यूनतम तल क्षेत्र नम २० इकाईयाँ अ					
. ,	क्षेत्रफल एवं इकाईयों की संख्या	भूखण्ड	तल धें में	पर ए 300 व	क ही आवासीय इ र्ग मीटर के पश्चात नुमन्य होगी।	काई अन्	नुमन्य होर्ग	ो जबकि ३०	00 वर्ग मी	टर से बड़े
26.5		भूखण्ड आवार्स भवन भूखण्ड	तल हों में होय इ की 3 हों में	पर ए 300 व इकाई अ अधिकतम् रिटल्ट	क ही आवासीय इ र्ग मीटर के पश्चात	काई अन् 1 प्रत्येक लोर सहि	नुमन्य होर्ग 100 वर्ग त 15 मीट	ो जबिक 30 मीटर क्षेत्रफ टर होगी। 30	00 वर्ग मी ल पर एव 00 वर्ग मी	टर से बड़े 5 अतिरिक्त टर तक के
26.5 26.6	इकाईयों की संख्या भवन की अधिकतम	भूखण्ड आवार्स भवन भूखण्ड	तल हों में विच इ की 3 हों में	पर ए 300 व इकाई अ अधिकतम् स्टिल्ट निर्माण	क ही आवासीय इ र्ग मीटर के पश्चात नुमन्य होगी। न ऊँचाई स्टिल्ट फर एवं तीन मंजिलों तथ	काई अन् 1 प्रत्येक लोर सहि था 300	नुमन्य होर्ग 100 वर्ग त 15 मीट	ो जबिक 30 मीटर क्षेत्रफ टर होगी। 30	00 वर्ग मी ल पर एव 00 वर्ग मी	टर से बड़े 5 अतिरिक्त टर तक के
	इकाईयों की संख्या भवन की अधिकतम ऊँचाई	भूखण्ड आवार्स भवन भूखण्ड मंजिलो	तल हों में विच इ की 3 हों में	पर ए 300 व इकाई अ अधिकतम् स्टिल्ट निर्माण	क ही आवासीय इ र्ग मीटर के पश्चात नुमन्य होगी। न ऊँचाई स्टिल्ट फर एवं तीन मंजिलों तह अनुमन्य होगा। ोट—बैक निम्नवत् हो	काई अन् 1 प्रत्येक लोर सहि था 300	नुमन्य होर्ग 100 वर्ग त 15 मीट	ो जबिक 30 मीटर क्षेत्रफ टर होगी। 30	00 वर्ग मी ल पर एव 00 वर्ग मी डों में स्टि	टर से बड़े 5 अतिरिक्त टर तक के
	इकाईयों की संख्या भवन की अधिकतम ऊँचाई सैट-बैक,	भूखण्ड आवार्स भवन भूखण्ड मंजिलो	तल हों में विच इ की 3 हों में	पर ए 300 व इकाई अ अधिकतम् स्टिल्ट निर्माण	क ही आवासीय इ र्ग मीटर के पश्चात नुमन्य होगी। न ऊँचाई स्टिल्ट फर एवं तीन मंजिलों तह अनुमन्य होगा।	काई अन् ा प्रत्येक लोर सहि था 300 व	नुमन्य होर्ग 100 वर्ग त 15 मीट	ो जबिक 30 मीटर क्षेत्रफ टर होगी। 30 से बड़े भूखण	00 वर्ग मी ल पर एव 00 वर्ग मी डों में स्टि	टर से बड़े 5 अतिरिक्त टर तक के
	इकाईयों की संख्या भवन की अधिकतम ऊँचाई सैट-बैक, भू-आच्छादन,	भूखण्ड आवार्स भवन भूखण्ड मंजिलो	तल हों में विच इ की 3 हों में	पर ए 300 व इकाई अ अधिकतम् स्टिल्ट निर्माण	क ही आवासीय इ र्ग मीटर के पश्चात नुमन्य होगी। न ऊँचाई स्टिल्ट फर एवं तीन मंजिलों तथ् अनुमन्य होगा। देट—बैक निम्नवत् हो भूखण्ड का क्षेत्रफल	काई अन् ा प्रत्येक लोर सहि था 300 व	नुमन्य होर्ग 100 वर्ग त 15 मीट वर्ग मीटर	ो जबिक 30 मीटर क्षेत्रफ टर होगी। 30 से बड़े भूखण सैट—बैक	00 वर्ग मी ल पर एव 00 वर्ग मी डों में स्टि (मीटर)	टर से बड़े ह अतिरिक्त टर तक के ल्ट एवं चार
	इकाईयों की संख्या भवन की अधिकतम ऊँचाई सैट-बैक, भू-आच्छादन,	भूखण्ड आवार्स भवन भूखण्ड मंजिलो	तल हों में विच इ की 3 हों में	पर ए 300 व इकाई अ अधिकतम् स्टिल्ट निर्माण नों में रं	क ही आवासीय इ र्ग मीटर के पश्चात नुमन्य होगी। न ऊँचाई स्टिल्ट फर एवं तीन मंजिलों तह अनुमन्य होगा। नेट्—बैक निम्नवत् हो भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	काई अन् त प्रत्येक लोर सहि था 300 व	नुमन्य होर्ग 100 वर्ग त 15 मीट वर्ग मीटर	ो जबिक 30 मीटर क्षेत्रफ टर होगी। 30 से बड़े भूखण सैट—बैक	00 वर्ग मी ल पर एव 00 वर्ग मी डों में स्टि (मीटर)	टर से बड़े ह अतिरिक्त टर तक के ल्ट एवं चार
	इकाईयों की संख्या भवन की अधिकतम ऊँचाई सैट-बैक, भू-आच्छादन,	भूखण्ड आवार्स भवन भूखण्ड मंजिलो	तल हों में विच इ की 3 हों में	पर ए 300 व इकाई अ अधिकतग् स्टिल्ट निर्माण नों में सें (क) रो-	क ही आवासीय इ र्ग मीटर के पश्चात नुमन्य होगी। न ऊँचाई स्टिल्ट फर एवं तीन मंजिलों तथ अनुमन्य होगा। नेट्-बैक निम्नवत् हो भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) – हाउसिंग	काई अन् त प्रत्येक लोर सहि था 300 व	नुमन्य होर्ग 100 वर्ग वत 15 मीट वर्ग मीटर अग्र भाग	ो जबिक 30 मीटर क्षेत्रफ टर होगी। 30 से बड़े भूखण सैट—बैक पृष्ठ भाग	00 वर्ग मी ल पर एव 00 वर्ग मी डों में स्टि (मीटर)	टर से बड़े ह अतिरिक्त टर तक के ल्ट एवं चार
	इकाईयों की संख्या भवन की अधिकतम ऊँचाई सैट-बैक, भू-आच्छादन,	भूखण्ड आवार्स भवन भूखण्ड मंजिलो	तल हों में विच इ की 3 हों में	पर ए 300 व इकाई अ अधिकतम् स्टिल्ट निर्माण नों में रें (क) रो- (ख) से	क ही आवासीय इ र्ग मीटर के पश्चात नुमन्य होगी। ा ऊँचाई स्टिल्ट फर एवं तीन मंजिलों तथ अनुमन्य होगा। तेट्—बैक निम्नवत् हो भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) — हाउसिंग 0 से अधिक 300 तव	काई अन् ग प्रत्येक लोर सहि था 300 वि गेगे:—	नुमन्य होर्ग 100 वर्ग वत 15 मीट वर्ग मीटर अग्र भाग	ो जबिक 30 मीटर क्षेत्रफ टर होगी। 30 से बड़े भूखण सैट—बैक पृष्ठ भाग	00 वर्ग मी ल पर एव 00 वर्ग मी डों में स्टि (मीटर)	टर से बड़े ह अतिरिक्त टर तक के ल्ट एवं चार
	इकाईयों की संख्या भवन की अधिकतम ऊँचाई सैट-बैक, भू-आच्छादन,	भूखण्ड आवार्स भवन भूखण्ड मंजिलो	तल हों में विच इ की 3 हों में	पर ए 300 व इकाई अ अधिकतम् स्टिल्ट निर्माण नों में रें (क) रो- (ख) से	क ही आवासीय इ र्ग मीटर के पश्चात नुमन्य होगी। न ऊँचाई स्टिल्ट फर एवं तीन मंजिलों तथ अनुमन्य होगा। नेट्-बैक निम्नवत् हो भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) – हाउसिंग ० से अधिक 300 तव मी—डिटेच्ड	काई अन् ग प्रत्येक लोर सहि था 300 वि गेगे:—	नुमन्य होर्ग 100 वर्ग उत 15 मीट वर्ग मीटर अग्र भाग	ो जबिक 30 मीटर क्षेत्रफ टर होगी। 30 से बड़े भूखण सैट—बैक पृष्ठ भाग 3.0	00 वर्ग मी ल पर एव 00 वर्ग मी डों में स्टि (मीटर) पार्श्व-1	टर से बड़े ह अतिरिक्त टर तक के ल्ट एवं चार
	इकाईयों की संख्या भवन की अधिकतम ऊँचाई सैट-बैक, भू-आच्छादन,	भूखण्ड आवार्स भवन भूखण्ड मंजिलो	तल हों में विच इ की 3 हों में	पर ए 300 व इकाई अ अधिकतम् स्टिल्ट निर्माण नों में रं (क) रो- (ख) से 30 (ग) डि	क ही आवासीय इ र्ग मीटर के पश्चात नुमन्य होगी। न ऊँचाई स्टिल्ट फर एवं तीन मंजिलों तथ अनुमन्य होगा। नेट्-बैक निम्नवत् हो भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) – हाउसिंग ० से अधिक 300 तव मी—डिटेच्ड	काई अन् त प्रत्येक लोर सहि था 300 व मंगे:—	नुमन्य होर्ग 100 वर्ग उत 15 मीट वर्ग मीटर अग्र भाग	ो जबिक 30 मीटर क्षेत्रफ टर होगी। 30 से बड़े भूखण सैट—बैक पृष्ठ भाग 3.0	00 वर्ग मी ल पर एव 00 वर्ग मी डों में स्टि (मीटर) पार्श्व-1	टर से बड़े ह अतिरिक्त टर तक के ल्ट एवं चार
	इकाईयों की संख्या भवन की अधिकतम ऊँचाई सैट-बैक, भू-आच्छादन,	भूखण्ड आवार्स भवन भूखण्ड मंजिलो	तल हों में विच इ की 3 हों में	पर ए 300 व इकाई अ अधिकतम् स्टिल्ट निर्माण नों में रें (क) रो- (ख) से 30 (ग) डि	क ही आवासीय इ र्ग मीटर के पश्चात नुमन्य होगी। न ऊँचाई स्टिल्ट फर एवं तीन मंजिलों तह अनुमन्य होगा। तेट्र—बैक निम्नवत् हो भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) – हाउसिंग 0 से अधिक 300 तव मी—डिटेच्ड 0 से अधिक 500 तव	काई अन्	नुमन्य होर्ग 100 वर्ग त 15 मीट वर्ग मीटर अग्र भाग 3.0	ो जबिक 30 मीटर क्षेत्रफ टर होगी। 30 से बड़े भूखण सैट—बैक पृष्ठ भाग 3.0	00 वर्ग मी ल पर एव 00 वर्ग मी डों में स्टि (मीटर) पाश्व-1	टर से बड़े ह अतिरिक्त टर तक के ल्ट एवं चार

		(II)	भवनों में भू-आच्छादन एवं एफ.ए.उ मूखण्ड का क्षेत्रफल	भू—आच्छादन (प्रतिशत)	एफ.ए.आर.	
			150 से अधिक 300 तक	(AICERCI) 65	1.75	1
			300 से अधिक 500 तक	50	1.50	
			500 से अधिक 2000 से कम	45	1.25	
26.7	पार्किंग व्यवस्था	(i)	आवासीय इकाई के निर्मित क्षेत्र करना होगाः—			
			आवासीय इकाई का निर्मित	क्षेत्रफल प्रत सर	येक आवासीय इ मान कार स्थल	काइ हतु
			100 वर्गमी. तल क्षेत्रफल तक		01	
			100 से अधिक-150 वर्गमी. तल	न क्षेत्रफल तक	1.25	
			150 वर्गमी. से अधिक तल क्षेत्र	फल	1.50	
		(11)	'समान कार स्थल' के लिए सर्कुत (क) खुले क्षेत्र में पार्किंग : 23 (ख) कवर्ड पार्किंग : 28 (ग) बेसमेन्ट में पार्किंग : 32	वर्ग मीटर वर्ग मीटर वर्ग मीटर		
			7 2 2 2 30	च्योन असितार्ग हो।	ਹ। ਹਿਟਕਟ ਨਹ	जपयोग केवल
		(iii)	पार्किंग के प्रयोजनार्थ स्टिल्ट प पार्किंग के प्रयोजनार्थ ही किया भी प्रकार का निर्माण नहीं होगा।	जाएगा। इसमें जी	ना / लिफ्ट क अ	ातारक्त ।कसा
26.8	अन्य अपेक्षाएं	; (i)	पार्किंग के प्रयोजनार्थ ही किया भी प्रकार का निर्माण नहीं होगा। उपर्युक्तानुसार भूखण्डों पर बहु आवेदक से उ.प्र. नगर योजना एवं संग्रहण) नियमावली, 2014 जाएगा।	जाएगा। इसमें जी —आवासीय इकाईय और विकास (विका के प्राविधानानुसा	ना / लिफ्ट क अ गं अनुमन्य किये स शुल्क का निध र विकास शुल्क	ातारक्त किसा जाने से पूर्व रिण, उद्ग्रहण जमा कराया
26.8	अन्य अपेक्षाएं	e .	पार्किंग के प्रयोजनार्थ ही किया भी प्रकार का निर्माण नहीं होगा। उपर्युक्तानुसार भूखण्डों पर बहु आवेदक से उ.प्र. नगर योजना र एवं संग्रहण) नियमावली, 2014 जाएगा। नियोजित कालोनियों में एक से यह सविधा अनुमन्य नहीं होगी।	जाएगा। इसमें जी -आवासीय इकाईय और विकास (विका के प्राविधानानुसा	ना / लिफ्ट क अ गं अनुमन्य किये स शुल्क का निध र विकास शुल्क समेकित (Amal	ातारक्त । कसा जाने से पूर्व र्जिंग, उद्ग्रहण जमा कराया gamate) कर
26.8	अन्य अपेक्षाएं	(i)	पार्किंग के प्रयोजनार्थ ही किया भी प्रकार का निर्माण नहीं होगा। उपर्युक्तानुसार भूखण्डों पर बहु आवेदक से उ.प्र. नगर योजना र एवं संग्रहण) नियमावली, 2014 जाएगा। नियोजित कालोनियों में एक से यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। सम्बन्धित कालोनी / क्षेत्र (अनुमं डेन्सिटी महायोजना / जोनल डेव सीमा के अन्तर्गत होनी चाहिए नियमानुसार कार्यवाही करने के जाएगा।	जाएगा। इसमें जी -आवासीय इकाईय और विकास (विकास के प्राविधानानुसा अधिक भूखण्डों क् गोदित ले–आउट जलपमेन्ट प्लान में अन्यथा डेन्सिटी	ना / लिफ्ट क अ गं अनुमन्य किये स शुल्क का निध् र विकास शुल्क समेकित (Amal प्राचान से आक्रुश निर्धारित अधिकत में संशोधन हेतु ! ईयों का निर्माण	ातारक्त किसा जाने से पूर्व रिण, उद्ग्रहण जमा कराया gamate) कर दित क्षेत्र) की म डेन्सिटी की प्राधिकरण द्वारा अनुमन्य किया
26.8	अन्यू अपेक्षाएं	(i)	पार्किंग के प्रयोजनार्थ ही किया भी प्रकार का निर्माण नहीं होगा। उपर्युक्तानुसार भूखण्डों पर बहु आवेदक से उ.प्र. नगर योजना र एवं संग्रहण) नियमावली, 2014 जाएगा। नियोजित कालोनियों में एक से यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। सम्बन्धित कालोनी / क्षेत्र (अनुम डेन्सिटी महायोजना / जोनल डेव् सीमा के अन्तर्गत होनी चाहिए नियमानुसार कार्यवाही करने के जाएगा। भवन की स्ट्रक्चरल सेफ्टी के इन्जीनियर का प्रमाण-पत्र प्राधि	जाएगा। इसमें जी —आवासीय इकाईय और विकास (विकास) के प्राविधानानुसा अधिक भूखण्डों क्र्रे वित्त ले—आउट क्रिक्टिंग स्वापमेन्ट प्लान में अन्यथा डेन्सिटी उपरान्त ही इका सम्बन्ध में मानिव करण में प्रस्तुत कर	ना / लिफ्ट क अ ii अनुमन्य किये स शुल्क का निध र विकास शुल्क समेकित (Amal मलान से आक्का निर्धारित अधिकत में संशोधन हेतु ! ईयों का निर्माण त्र स्वीकृति के र ना अनिवार्य होगा	ातारक्त किसा जाने से पूर्व रिण, उद्ग्रहण जमा कराया gamate) कर दित क्षेत्र) की म डेन्सिटी की प्राधिकरण द्वारा अनुमन्य किया
26.8	अन्यू अपेक्षाएं	(ii)	पार्किंग के प्रयोजनार्थ ही किया भी प्रकार का निर्माण नहीं होगा। उपर्युक्तानुसार भूखण्डों पर बहु आवेदक से उ.प्र. नगर योजना (एवं संग्रहण) नियमावली, 2014 जाएगा। नियोजित कालोनियों में एक से यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। सम्बन्धित कालोनी/क्षेत्र (अनुम डेन्सिटी महायोजना/जोनल डेव् सीमा के अन्तर्गत होनी चाहिए नियमानुसार कार्यवाही करने के जाएगा। भवन की स्ट्रक्चरल सेफ्टी के इन्जीनियर का प्रमाण-पत्र प्राधिष् भवन की ऊँचाई ए.एस.आई के स्टैच्यूटरी नियंत्रण (यदि हो), अ	जाएगा। इसमें जी —आवासीय इकाईय और विकास (विकास) के प्राविधानानुसा अधिक भूखण्डों क्र्री वित ले—आउट रि वलपमेन्ट प्लान में अन्यथा डेन्सिटी उपरान्त ही इका सम्बन्ध में मानिय करण में प्रस्तुत कर रेगुलेटेड एरिया, विद से नियन्त्रित हो	ना / लिफ्ट क अ गं अनुमन्य किये स शुल्क का निध र विकास शुल्क समेकित (Amal ग्रालान से आक्का निर्धारित अधिकत में संशोधन हेतु ! ईयों का निर्माण त्र स्वीकृति के र ना अनिवार्य होगा एयरपोर्ट फनल र गी।	ातारक्त किसा जाने से पूर्व रिण, उद्ग्रहण जमा कराया gamate) कर म डेन्सिटी की प्राधिकरण द्वारा अनुमन्य किया समय स्ट्रक्चरल । जोन तथा अन्य
26.8	अन्य अपेक्षाएं	(ii) (iii)	पार्किंग के प्रयोजनार्थ ही किया भी प्रकार का निर्माण नहीं होगा। उपर्युक्तानुसार भूखण्डों पर बहु आवेदक से उ.प्र. नगर योजना र एवं संग्रहण) नियमावली, 2014 जाएगा। नियोजित कालोनियों में एक से यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। सम्बन्धित कालोनी / क्षेत्र (अनुम डेन्सिटी महायोजना / जोनल डेव् सीमा के अन्तर्गत होनी चाहिए नियमानुसार कार्यवाही करने के जाएगा। भवन की स्ट्रक्चरल सेफ्टी के इन्जीनियर का प्रमाण—पत्र प्राधि भवन की ऊँचाई ए.एस.आई के स्टैच्यूटरी नियंत्रण (यदि हो), अ भवनों का नियोजन, अभिकल्प भाग—4 'फायर एण्ड लाइफ र करते हए किया जाएगा।	जाएगा। इसमें जी —आवासीय इकाईय और विकास (विकास के प्राविधानानुसा अधिक भूखण्डों क् वित ले—आउट वलपमेन्ट प्लान में अन्यथा डेन्सिटी उपरान्त ही इका सम्बन्ध में मानचि करण में प्रस्तुत कर रेगुलेटेड एरिया, वि से नियन्त्रित हो वन एवं निर्माण ने	ना / लिफ्ट क अ ii अनुमन्य किये ii अनुमन्य किये ii अनुमन्य किये ii शुल्क का निध र विकास शुल्क समेकित (Amalater) स्वां का निर्माण त्र स्वीकृति के र ना अनिवार्य होगा एयरपोर्ट फनल र गी। शनल बिल्डिंग सार अग्नि से स्	ातारक्त किसा जाने से पूर्व रिण, उद्ग्रहण जमा कराया gamate) कर दित क्षेत्र) की म डेन्सिटी की प्राधिकरण द्वारा अनुमन्य किया समय स्ट्रक्चरल । जोन तथा अन्य कोड—2005 के गुरक्षा सुनिश्चित
26.8	अन्यू अपेक्षाएं	(ii) (iii) (iv)	पार्किंग के प्रयोजनार्थ ही किया भी प्रकार का निर्माण नहीं होगा। उपर्युक्तानुसार भूखण्डों पर बहु आवेदक से उ.प्र. नगर योजना र एवं संग्रहण) नियमावली, 2014 जाएगा। नियोजित कालोनियों में एक से यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। सम्बन्धित कालोनी / क्षेत्र (अनुम डेन्सिटी महायोजना / जोनल डेव् सीमा के अन्तर्गत होनी चाहिए नियमानुसार कार्यवाही करने के जाएगा। भवन की स्ट्रक्चरल सेफ्टी के इन्जीनियर का प्रमाण—पत्र प्राधि। भवन की ऊँचाई ए.एस.आई के स्टैच्यूटरी नियंत्रण (यदि हो), अ भवनों का नियोजन, अभिकल्प भाग—4 'फायर एण्ड लाइफ र करते हुए किया जाएगा।	जाएगा। इसमें जी —आवासीय इकाईंट और विकास (विका के प्राविधानानुसा अधिक भूखण्डों को तित ले—आउट तलपमेन्ट प्लान में अन्यथा डेन्सिटी उपरान्त ही इका सम्बन्ध में मानचि करण में प्रस्तुत कर रेगुलेटेड एरिया, वि से नियन्त्रित हो सेपटी की अपेक्षानु	ना / लिफ्ट क अ गं अनुमन्य किये स शुल्क का निध र विकास शुल्क समेकित (Amal प्रातान से आक्रुग निर्धारित अधिकत में संशोधन हेतु ! ईयों का निर्माण त्र स्वीकृति के र ना अनिवार्य होगा एयरपोर्ट फनल उ गी। शनल बिल्डिंग सार अग्नि से स्	ातारक्त किसा जाने से पूर्व रिण, उद्ग्रहण जमा कराया gamate) कर दित क्षेत्र) की म डेन्सिटी की प्राधिकरण द्वारा अनुमन्य किया समय स्ट्रक्चरल । जोन तथा अन्य कोड–2005 के गुरक्षा सुनिश्चित

海外が大きないからははないのではかっていますが、日本大きかのいかないが、大きなないではない。